[2020] 1 एस. सी. आर. 1030

हनुमान लक्ष्मण अरूस्कर

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

2019 का एम. ए. No.965 आई. एन

(2018 की सिविल अपील संख्या 12251)

16 जनवरी, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

पर्यावरण-एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए पर्यावरण मंजूरी-भारत संघ ने एक निर्देश की मांग की कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई. ए. सी.) की दिनांक 23.4.2019 की चालीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में लिया जाए ताकि द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

28.10.2015 पर पर्यावरण मंजूरी का अनुदान त्रुटिपूर्ण था-आयोजितः तत्काल कार्यवाही तक की प्रक्रिया को पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई. ए. सी. ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में उन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया था-ई. ए. सी. चार क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है अर्थात। (i) वन; (ii) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र; (iii) पश्चिमी घाट और (iv) वनस्पति और जीवों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं।

पर्यावरण-एक व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया है

ई. ए. सी. हवाई अड्डा मार्गदर्शन नियमावली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए-ई. ए. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और इसके अंतिम निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा के दौरान, योग्यता आधारित समीक्षा करने वाले न्यायालय से जुड़ी सीमाओं के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए-इससे पहले, न्यायालय ने ई. ए. सी. को रद्द नहीं किया था, लेकिन इसे तब तक निलंबित कर दिया था जब तक कि ई. ए. सी. ने इसकी समीक्षा नहीं की थी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के आलोक में सिफारिशें-उच्चतम न्यायालय के फैसले और परिणाम के बाद हुई प्रक्रिया का आकलन करने के बाद, यह मानना मुश्किल होगा कि यह उन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है जिन्हें न्यायालय पर्यावरण मामलों में न्यायिक समीक्षा के दौरान लागू करता है।

1030 हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

रिकॉर्ड में लिया जाता है-ई. ए. सी. द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें, दिनांक 28.10.2015 की ई. सी. की मूल शर्तों और एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों का संचयी रूप से पालन किया जाएगा-इसके अलावा पहले के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान करने में घोर विफलता का उल्लेख किया।

आरक्षित वनों के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी निर्णय के बाद की कार्यवाही में, परियोजना प्रस्तावक ने अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए इसकी विफलता को दूर करने की मांग की

पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर-ईसी के अनुदान के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके निलंबन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में, परियोजना प्रस्तावक पर कई शमनकारी शर्तें लगाई गई हैं-एक विशेष निकाय द्वारा परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी किए गए निर्देश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी निर्देशों के अनुपालन की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान-तदनुसार निर्वाचन आयोग पर निलंबन हटा लिया गया है।

विविध आवेदन का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. 29 मार्च 2019 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दौरान कुछ खामियां थीं -

28 अक्टूबर 2015 को एक ईसी के अनुदान तक की प्रक्रिया में देखा गया। परियोजना प्रस्तावक ने ई. आई. ए. प्रक्रिया के एक आंतरिक भाग के रूप में प्रपत्र 1 में पर्यावरण के भौतिक पहलुओं पर जानकारी का पूर्ण प्रकटीकरण करने के अपने दायित्व का पालन नहीं किया था। इस न्यायालय ने विशेष रूप से अपनी चिंताओं को दर्ज किया

महत्वपूर्ण पहलू जिन्हें ई. ए. सी. द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। प्रक्रिया में खामियों और ई. ए. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने ई. ए. सी. को एक ई. सी. के अनुदान के लिए उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें उन शर्तों को भी शामिल किया गया था जो उसने निर्णय में उजागर की गई विशिष्ट चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की थीं। इसके बाद यदि ई. ए. सी. निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तो इसे अतिरिक्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया गया था

स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करें। ई. ए. सी. हवा, पानी, शोर, भूमि और जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण से संबंधित शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश के तहत था। इस निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने इस प्रक्रिया का पता लगाया है क्योंकि यह इस [2020] 1 एस. सी. आर. के पहले के निर्देशों का पालन करते हुए ई. ए. सी. के समक्ष विकसित हुई थी।

अदालत। प्रक्रिया का शुद्ध परिणाम यह है कि रियायत प्राप्तकर्ता को कई शमनकारी शर्तों के अधीन किया गया हैः 53 मूल ईसी में, एनजीटी के कहने पर 16 और दूसरे दौर में ईएसी द्वारा लगाए गए 40। आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया को पढ़ने पर

वर्तमान कार्यवाही में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई. ए. सी. ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में उन चिंताओं को नजरअंदाज किया है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा उजागर किया गया था। अपीलार्थी ने चार क्षेत्रों अर्थात् (i) वन; (ii) ई. एस. ए.; (iii) पश्चिमी घाट; और (iv) वनस्पति और जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। ई. ए. सी. ने इन चिंताओं का पर्याप्त समाधान किया है

और पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कीं

पर्यावरण की रक्षा। [पैरा 42] [1069-जी-एच; 1070-ए-डी] 2. हवाई अड्डा मार्गदर्शन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ई. ए. सी. द्वारा एक व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया है।

मैनुअल। ई. ए. सी. ने पश्चिमी घाटों में आरक्षित वनों और ई. एस. ए. की उपस्थिति पर ध्यान दिया और वनस्पतियों या जीवों, जल प्रणालियों और जलवायु परिवर्तनों पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया। ई. ए. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके अंतिम निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा के दौरान योग्यता आधारित समीक्षा करने वाले न्यायालय से जुड़ी सीमाओं के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए। ई. ए. सी. ने अपने पिछले फैसले में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।

ई. सी. के अनुदान के लिए अग्रणी मूल्यांकन में। [पैरा 44] [1072-सी-एफ]

3. योग्यताओं का मूल्यांकन एक ऐसा मामला है जो मुख्य रूप से निहित है।

एक विशेषज्ञ प्राधिकारी के साथ। अदालत निश्चित रूप से निगरानी कर सकती है।

प्रक्रियात्मक अनुपालन और यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाले सभी आवश्यक निवेशों को विधिवत ध्यान में रखा गया है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, अदालत को ई. ए. सी. के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करके ई. ए. सी. द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। निस्संदेह, कोई भी प्रक्रिया पूर्ण या अध्ययन की गई आलोचना से मुक्त नहीं हो सकती है। अपीलार्थी ने इस तरह की कवायद करने का प्रयास किया है जब यह प्रस्तुत किया गया था कि पास के गाँव से प्राथमिक जीव डेटा और जेडएसआई स्रोतों से माध्यमिक डेटा का संग्रह इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से निपटने का पर्याप्त साधन नहीं था। इन आलोचनाओं का आकलन करते हुए, यह न्यायालय मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

समान रूप से इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि 29 मार्च 2019 के इस न्यायालय के फैसले के अनुसार, ई. ए. सी. को इसे पूरा करना आवश्यक था।

इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया। इस न्यायालय के निर्णय और परिणाम के बाद हुई प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के बाद, इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल होगा कि वह उन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है जिन्हें न्यायालय पर्यावरण मामलों में न्यायिक समीक्षा के दौरान लागू करता है। [पैरा 45] [1073-बी-एफ] 4. उपरोक्त कारणों से, 23 अप्रैल 2019 की ई. ए. सी. की बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में लिया गया है। ई. ए. सी. द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें, 28 अक्टूबर 2015 की ई. सी. की मूल शर्तों और एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगीः

संचयी रूप से देखा गया। [पैरा 46] [1073-जी] 5. इस न्यायालय के पहले के फैसले में परियोजना प्रस्तावक की कई कमियों को उजागर किया गया था जिसके कारण अनुदान दिया गया था

ईसी। इस न्यायालय ने वनों के संरक्षण, उनकी सहायक विशेषताओं के साथ ई. एस. ए. के अस्तित्व और प्राकृतिक जल चैनलों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव सहित कई चिंताओं पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने इसके अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने में परियोजना प्रस्तावक की घोर विफलता पर भी ध्यान दिया

आरक्षित वन। इस न्यायालय के फैसले के बाद की कार्यवाही में, परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए इसकी विफलता को दूर करने की मांग की। ई. सी. के अनुदान के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा इसके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया में, परियोजना पर कई शमनकारी शर्तें लगाई गई हैं। प्रस्तावक। हम इस न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निकाय द्वारा परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करना उचित समझते हैं। यह न्यायालय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को निर्देशों के अनुपालन की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश देता है।

इस न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी किया गया। परियोजना प्रस्तावक एन. ई. ई. आर. आई. की लागत, खर्च और शुल्क वहन करेगा। [पैरा 48] [1090-ए-डी] [2020] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ

(2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एस. सी. आर. 954-पर निर्भर।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ (2019)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 441 संदर्भित। -

मामला कानून संदर्भ

[2011] 7 एससीआर 954

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विविध अनुप्रयोग

2019 का सं. 965। 2018 की सिविल अपील संख्या 12251 में।

राष्ट्रीय संविधान के 21.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 2018 की अपील संख्या 6 में (2016 की पूर्व अपील संख्या 1/डब्ल्यूजेड)

सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रश्मि नंदकुमार, रित्विक

दत्ता, सुश्री कनिका सूद, संजना थॉमस, सुश्री आयुशना अवस्थी, शंकर नारायणन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, एएनएस नाडकर्णी, एएसजी, पराग पी त्रिपाठी,

सीनियर एड. , प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अबराहम रॉय, विजय वाल्सन, सुश्री सुहासिनी सेन, एस. बी. नारायण, एस. एस. रेबेलो, आरजू पॉल, नीलेश्वर पवनी, शिविका अग्रवाल, नीरज कुमार, सुश्री प्रिया सोनी, गुरमीत सिंह मक्कर, एम. एस. अनंत, महेश अग्रवाल, योजना मेहरा, श्रीनिवासन रामास्वामी, सुश्री आशना अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

ए. परिचय B.

ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

बी. 1 शून्य-कार्बन कार्यक्रम

सी. प्रस्तावित हवाई अड्डे की उत्पत्ति

D. वर्तमान चुनौती

डी. 1 ई. ए. सी. की क्षेत्र विशेषज्ञता

डी. 2 हितों का टकराव मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी. 3 पश्चिमी घाट और ईएसए

D. 4 वन भूमि और वनस्पति और जीव-जंतु

ई. दिशाएँ

ए. परिचय

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1 में भारत संघ ने इन कार्यवाही को आगे बढ़ाया, एक निर्देश की मांग करते हुए कि

कुछ शर्तों का पालन। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले से, 28 अक्टूबर 2015 को ईसी के अनुदान तक की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण माना गया था। द. न्यायालय द्वारा लगाए गए निर्देशों को निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया थाः

" 175 .....

(i) ई. ए. सी. एक ई. सी. के अनुदान के लिए अपने द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करेगा, जिसमें वे शर्तें भी शामिल हैं जो उसने तैयार की हैं।

विशिष्ट चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जिन्हें उजागर किया गया है

इस निर्णय में;

((ii) ई. ए. सी. इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के एक महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त (i) के तहत अभ्यास करेगा।
(iii) जब तक ई. ए. सी. ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार नई कवायद नहीं करता है, तब तक एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा 28 अक्टूबर 2015 को दिया गया ई. सी. बना रहेगा।

निलंबित;

(iv) वर्तमान निर्देशों के संदर्भ में मामले पर पुनर्विचार करने पर, ई. ए. सी., यदि वह निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तो ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगाएगा जो उसके विशेषज्ञ दृष्टिकोण में स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में चिंताओं की पर्याप्त रूप से रक्षा करेंगी।

1 एमओईएफ-सीसी

2 ईएसी

3 ई. सी.

4 एनजीटी

$ (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 441 [2020] 1 एस. सी. आर.

इस निर्णय में देखा गया। ई. ए. सी. को हवा, पानी, शोर, भूमि, जैविक से संबंधित उचित शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

और सामाजिक-आर्थिक वातावरण;

(v) ई. ए. सी. इस न्यायालय को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए इस आश्वासन का उचित सम्मान करेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए तैयार है।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को नियंत्रित करने वाली प्रथाएँ; (vi) हम परियोजना प्रस्तावक के रूप में गोवा राज्य और एम. ओ. ई. एफ. सी. सी., जैसा भी मामला हो, को विविध आवेदन के रूप में इस न्यायालय के समक्ष ई. ए. सी. की रिपोर्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

ताकि उचित आदेश पारित करने में सुविधा हो

(vii) कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा - ई. ए. सी. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

वर्तमान आदेश का अनुपालन। उपरोक्त में अनिवार्य प्रक्रिया के पूरा होने तक

इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को निलंबित कर दिया जो 28 को दिया गया था।

2015 से।

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के लिए ई. ए. सी. की आवश्यकता थीः

(i) निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई शर्तों सहित अनुदान के लिए अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करना; और

((ii) हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति देने की स्थिति में अतिरिक्त शर्तों को लागू करना, ताकि निर्णय में देखी गई स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली चिंताओं को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सके, इसके अलावा हवा, पानी, शोर, भूमि, जैविक और सामाजिक-आर्थिक से संबंधित स्थितियों को तैयार किया जा सके।

पर्यावरण। ऐसा करते समय, ई. ए. सी. को उन विशिष्ट चिंताओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया था जो थीं - फैसले में उजागर किया गया।

2. इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का आधार

निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में लिखा गया है जो पढ़ता है

" 174. हवाई अड्डे की आवश्यकता और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यह उचित होगा यदि ई. ए. सी. को मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाए।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिन शर्तों के अधीन उसने विशिष्ट चिंताओं के आधार पर अपना निर्वाचन आयोग प्रदान किया है, जिन पर इसमें प्रकाश डाला गया है।

निर्णय। इस तरह का अभ्यास मुख्य रूप से ई. ए. सी. के लिए अपनी विशेषज्ञ निर्णय लेने की क्षमता में करना है। ई. ए. सी. को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यह कार्य सौंपा गया है। न्यायिक समीक्षा की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन का पालन किया जाए। इसलिए, हम उन निर्देशों का प्रस्ताव करते हैं जो हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी करेंगे, ताकि ई. ए. सी. को ई. सी. के अनुदान के लिए शर्तों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जा सके। ऐसा करते समय, ई. ए. सी. के लिए यह खुला रहेगा कि वह एन. जी. टी. के आदेश में शामिल शर्तों का उचित सम्मान करे और उस स्वतंत्रता के अनुसरण में उन शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे जिसे हमने उसके लिए संरक्षित किया है। एक त्वरित निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम ई. ए. सी. को इस अभ्यास को करने का निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं।

निर्धारित समय अनुसूची जिसके दौरान निर्वाचन आयोग निलंबित रहेगा। हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि ई. ए. सी. के तैयार होने के बाद

उनके विचार, उन्हें वर्तमान कार्यवाहियों में एक विविध आवेदन में इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, ताकि न्यायालय को सक्षम बनाया जा सके

अंतिम आदेश पारित करना। विविध आवेदन या तो गोवा राज्य द्वारा परियोजना प्रस्तावक के रूप में या द्वारा दायर किया जा सकता है

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. हम स्पष्ट करते हैं कि कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण ई. ए. सी. के अंतिम निर्णय को किसी भी चुनौती पर विचार नहीं करेगा और उस पर अंतिम आदेश इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किए जाएंगे।

3. अनिवार्य रूप से, इस न्यायालय के फैसले में जिन चिंताओं को उजागर किया गया था, वे पश्चिमी देशों की जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता से संबंधित हैं

घाट। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह द्वारा 2013 में इन चिंताओं को एक महत्वपूर्ण अभ्यास का विषय बनाया गया है। एचएलडब्ल्यूजी की रिपोर्ट में कहा गया है

पूर्ववर्ती निर्णय में इसका उल्लेख किया गया था और यह वर्तमान मामले में निरंतर बहस का केंद्र बिंदु बना हुआ है। एच. एल. डब्ल्यू. जी. का गठन पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था-15 अप्रैल 2013 की रिपोर्ट जैव विविधता के संरक्षण में एक मूल्यवान योगदान है।

पश्चिमी घाट का वातावरण। 4. इस न्यायालय के फैसले ने परियोजना के प्रस्तावक के रूप में गोवा राज्य की विफलता पर जोर दिया, जिसमें आरक्षित वनों के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करना शामिल है, जो मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे से 15 किमी रेडियल दूरी के भीतर आते हैं। गंभीर बात यह है

6 एचएलडब्ल्यूजी 7 कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण में, इसने कुछ विशिष्ट पहलुओं पर अपनी चिंताओं को नोट किया। इनमें शामिल हैं:

(i) आरक्षित वनों सहित वनों का संरक्षण;

((ii) जल, मिट्टी, शोर और जलवायु परिवर्तनों के संदर्भ में वनस्पतियों, जीवों और पर्यावरणीय गुणवत्ता जैसी उनकी सहायक विशेषताओं के साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का अस्तित्व।

(iii) जल के प्रवाह पर प्रस्तावित निर्माण का प्रभाव

प्राकृतिक जल चैनल; तथा

((iv) सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएँ जो थीं -

सार्वजनिक परामर्श के दौरान उठाया गया।

B. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

5. इस न्यायालय के फैसले के बाद, परियोजना प्रस्तावक ने ई. ए. सी. को पूरक जानकारी दी जिससे कुछ बातों का पता चला।

पर्यावरण की विशिष्टताएँ। प्रकटीकरण नीचे निकाला गया है:

" क) 15 कि. मी. के भीतर सात आरक्षित वन हैं। गोवा क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे (धारा-20 के तहत) और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के तहत छह प्रस्तावित आरक्षित वन। (सर्वे ऑफ इंडिया टॉपशीट एंड फॉरेस्ट वर्किंग प्लान ऑफ नॉर्थ

गोवा)

ख) 15 कि. मी. के भीतर उनतीस प्रस्तावित आरक्षित वन हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 (भारतीय स्थल पत्रक और वन सर्वेक्षण) की धारा-4 के तहत महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे का

ग) गोवा में चार नदियाँ हैं। तेरेखोल नदी, कलना नदी, चपोरा नदी, मोइदे नदी और एक नदी। तिलारी नदी में महाराष्ट्र (स्रोत: सर्वे ऑफ इंडिया टॉपशीट)।

घ) मोइडे के पास मैंग्रोव के कुछ धब्बे देखे गए हैं।

नदी, तेरेखोल नदी, चपोरा नदी।

ई) पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। च) दो आर्द्रभूमि हैं, जिनमें से एक अंजुना जलाशय में है।

गोवा के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस में इसकी पहचान की गई है।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

छ) आसपास कोई तटीय क्षेत्र और घोषित जैव क्षेत्र नहीं हैं।

प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल "।

6. ई. ए. सी. ने वन क्षेत्रों के विवरण को सारणीबद्ध किया जो प्रस्तावित हवाई अड्डे से 15 कि. मी. की त्रिज्या दूरी के भीतर और गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्रों के भीतर आते हैं। वन क्षेत्र गोवा राज्य के तीन तालुकों (बिचोलिम, पेरनेम और बार्देज़) और महाराष्ट्र राज्य के तीन तालुकों (सावंतवाड़ी, डोडामार्ग और वेंगुर्ला) में स्थित पाए गए। पेरनेम तालुका में, 23 अप्रैल 2019 को ई. ए. सी. के कार्यवृत्त में दी गई जानकारी अन्य बातों के साथ-साथ मोपा में आरक्षित वनों के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है।

7. पर्यावरण प्रभाव आकलन की समीक्षा करते हुए, ई. ए. सी. ने कहाः

" भारत सरकार की वन नीति, 1988 के अनुसार, आवश्यक वन क्षेत्र 33 प्रतिशत है। जबकि, भारत का औसत 21.54% है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार गोवा का वन क्षेत्र 60.21% है। पेड़ों की कटाई से जंगल पर असर पड़ेगा लेकिन

अंततः वन क्षेत्र में 1 के साथ सुधार होगाः 10 5 वर्ष की अवधि में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

नागरिक उड्डयन निदेशालय। वन क्षेत्र में वृद्धि होगी स्वस्थ जैव विविधता की ओर ले जाएँ। पेड़ों की कटाई को देखते हुए पानी, हवा, मिट्टी और शोर वातावरण पर और कम प्रभाव पड़ेगा।

एक बड़े क्षेत्र पर और प्रतिपूरक वनीकरण योजना के रूप में अनुमोदित।

यह ध्यान दिया जाता है कि हवाई अड्डा स्थल वन क्षेत्र को खंडित नहीं कर रहा है और इस प्रकार जीवों की आवाजाही को प्रतिबंधित और प्रभावित नहीं कर रहा है। हवाई अड्डे के पठार में एक तरफ गाँव हैं और दूसरी तरफ वन क्षेत्र है। पठार केवल पेड़ों के साथ वन क्षेत्र का एक विस्तार है, जिसमें 15 घर थे, कुछ चराई गतिविधि और कुछ कृषि गतिविधि जहां आस-पास के जंगल के जानवर भटक रहे होंगे। प्रस्तावित हवाई अड्डे को डी. जी. सी. ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार चारों ओर से परिसर की दीवार से संरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार

जानवर हवाई अड्डे के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

प्रस्तावित 10 गुना प्रतिपूरक रोपण की गोवा सरकार द्वारा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि 5.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके और उनका अस्तित्व बना रहे।

दर की निगरानी की जाती है और मृत्यु दर की भरपाई की जाती है। चूंकि ग्राम स्तर की जैव विविधता समितियों द्वारा ढाई लाख पौधों का बड़ा हिस्सा बनाने का प्रस्ताव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोगों को बड़े पैमाने पर देशी प्रजातियों और/या फल देने वाले पौधे दिए जाएं ताकि वे ऐसी फलों की फसलों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें और ऐसे पेड़ भी लोगों को बेहतर जैविक वातावरण प्रदान करेंगे। पक्षियों "।

8. ई. एस. ए. एस. के अस्तित्व पर, ई. ए. सी. ने नोट किया कि ई. आई. ए. रिपोर्ट ने केवल संकेत दिया था कि पेरनेम तालुका, जहां परियोजना आने वाली है,

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट में ई. एस. ए. के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। ई. ए. सी. ने 23 अप्रैल 2019 को अपने कार्यवृत्त में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने 3 अक्टूबर 2018 को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें पश्चिमी घाटों में प्रस्तावित ई. एस. ए. एस. का संकेत दिया गया था, जिसके अनुसार, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुका के दस गाँव पश्चिमी घाटों के ई. एस. ए. एस. में शामिल हैं। राज्य के भीतर ई. एस. ए. के अलावा

महाराष्ट्र, ई. ए. सी. ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में स्तनधारियों की अठारह अतिरिक्त प्रजातियों और पक्षियों की चौदह प्रजातियों के अस्तित्व का उल्लेख किया। महाराष्ट्र राज्य में 10 किलोमीटर की रेडियल दूरी के भीतर दस ई. एस. ए. के अस्तित्व के संदर्भ में ई. आई. ए. की समीक्षा करते हुए, ई. ए. सी. ने 23 अप्रैल 2019 को अपने कार्यवृत्त में उल्लेख कियाः

" ई. ए. सी. ने नोट किया कि महाराष्ट्र राज्य में 10 किलोमीटर के भीतर सभी 10 ई. एस. ए. क्षेत्र परियोजना सीमा से 4 किलोमीटर से परे हैं, जिनमें से सबसे निकटतम क्षेत्र 4 किलोमीटर (विलेज गेल) की दूरी पर है। हवाई अड्डे के मार्गदर्शन नियमावली के अनुसार हवा और शोर पर अधिकतम प्रभाव जब तक विमान 1000 फीट की ऊंचाई हासिल नहीं कर लेता, तब तक वातावरण बना रहेगा। 1, 000 फीट से नीचे के विमानों से उत्सर्जन। जमीन के ऊपर आमतौर पर प्रस्थान से लगभग 3 किमी या आगमन के लिए, टचडाउन से लगभग 6 किमी की दूरी पर होगा। परियोजना स्थल के भीतर लैंडिंग और टेकऑफ़ में 1000 फ़ीट की ऊँचाई प्राप्त की जाती है। यह देखते हुए कि सभी ई. एस. ए. एस. परियोजना से बहुत दूर हैं, हवा और शोर पर प्रभाव

पर्यावरण न्यूनतम होने की उम्मीद है। मिट्टी के पर्यावरण के संबंध में, प्रभाव ज्यादातर हवाई अड्डे के स्थल पर ही होगा। जहां तक जल पर्यावरण का संबंध है, चूंकि हवाई अड्डा स्थल से पानी का प्रवाह गोवा राज्य में जल निकायों को पानी देगा, इसलिए ई. एस. ए. क्षेत्रों पर कोई प्रभाव पड़ने की परिकल्पना नहीं की गई है।

9. ई. ए. सी. ने वनस्पतियों, जीवों और जल प्रणालियों ई. एस. ए. के साथ-साथ जलवायु परिवर्तनों के संबंध में एक हवाई अड्डे के निर्माण के संभावित प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया। ईएसीउन्हें निम्नलिखित शब्दों में उन्मुख कियाः

" जल पर्यावरणः

तूफानी जल के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन, अविकसित वृद्धि,

फूल और फलने में देरी।

- पानी की तलाश में जीवों का अन्य स्थानों पर पलायन।

- उनके आवास और प्रजनन क्षमता को बदलें। -यूट्रोफिकेशन प्रभाव के कारण, कुछ विषाक्त शैवाल उत्पादन कुछ जानवरों को त्वचा की जलन या स्वास्थ्य जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है।

शराब पीने से होती है परेशानी मृदा पर्यावरणः

(आवास और निवास विखंडन का नुकसान) - पर्यावरण या निवास की गुणवत्ता को प्रभावित करता है जिसमें वे

जीना।

- खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है

- मिट्टी का कटाव मैलापन को बढ़ा सकता है जो जलीय को प्रभावित कर सकता है

- स्थानीय जलीय जैव विविधता का नुकसान - निवास स्थान का नुकसान

- क्षरण और ऊपरी मिट्टी की सफाई (सूक्ष्म जीवों का नुकसान)।

वायु पर्यावरणः वायु प्रभाव से उत्पादकता कम हो सकती है, जल वाष्प में परिवर्तन हो सकता है

स्तर।

सरौंडिंग/शोर वातावरण।

- पक्षियों का पलायन

- प्रजनन क्षमता में कमी [2020] 1 एस. सी. आर

- जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं शर्मीले स्तनधारी दूर जा सकते हैं

- पक्षी विमानों का हमला

- वन्य जीवन के खतरे का प्रबंधन जलवायु परिवर्तन -

- कई प्रजातियों के आवास पोल वार्ड को स्थानांतरित कर देंगे

- तापमान व्यवस्था, वर्षा में वृद्धि का अनुभव

- नमी व्यवस्था में कमी और आग की घटनाओं में वृद्धि "।

इन विशेषताओं और प्रस्तावित परियोजना के उन पर प्रभाव से निपटने के लिए, ई. ए. सी. ने कहाः

" ई. ए. सी. ने कहा कि अध्ययन क्षेत्र में पौधों की कुल 385 प्रजातियां, 36 औषधीय पौधे, पक्षियों की 86 प्रजातियां, तितली की 33 प्रजातियां, उभयचरों की 5 प्रजातियां, सरीसृपों की 18 प्रजातियां, मछलियों की 35 प्रजातियां, स्तनधारियों की 28 प्रजातियों की पहचान की गई। प्रस्तावित परियोजना का आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम हस्तक्षेप और प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता पर प्रभाव को कम करने के लिए ईसी स्थितियों में पहले से ही शमन उपाय निर्धारित किए गए हैं-वनस्पति और जीव, जल विज्ञान

प्रणालियाँ। इससे सतत विकास की प्रक्रिया को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी जिससे पर्यावरण और स्थानीय आजीविका दोनों को लाभ होगा। जलवायु परिवर्तनों के संबंध में, ई. ए. सी. ने महसूस किया कि हरित अवसंरचना विकास कार्यक्रम जैसी अतिरिक्त पहल,

कम उत्सर्जन गहन प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और हवाई अड्डा कार्बन प्रत्यायन को अपनाने की आवश्यकता है

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पर प्रभाव को कम करना और

जिससे जलवायु परिवर्तन होता है "।

10. ई. ए. सी. द्वारा जिन चिंताओं से निपटा गया, उनका अगला समूह जल निकासी के लिए प्राकृतिक चैनलों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव से संबंधित था। इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसले में कहा था कि मोपा पठार समुद्र तल से 155 मीटर की ऊंचाई पर है और

पठार का पानी गोवा राज्य की नदियों में बहता है। लेटराइट पठार पानी के लिए प्राकृतिक चैनल प्रदान करके जल निकासी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस न्यायालय द्वारा देखी गई कमी यह थी कि प्राकृतिक मार्गों के बंद होने पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रभाव पड़ा

11 एम. एस. एल. उमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एच फ़ीड जल निकायों को वैज्ञानिक रूप से मैप या अध्ययन नहीं किया गया था

सटीक रूप से संबोधित।

11. इस पहलू पर ई. आई. ए. की समीक्षा करते हुए, ई. ए. सी. अपने कार्यवृत्त में

123 अप्रैल 2019 में देखा गयाः

" यदि स्थानीय जल निकायों को पानी देने वाले प्राकृतिक जल चैनलों को संरक्षित नहीं किया जाता है तो गांवों में कृषि, मछली पकड़ने आदि के लिए पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा, गाँवों में भूजल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। ई. ए. सी. ने ई. सी. प्रदान करते हुए

परियोजना में इस पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल निकायों को पानी देने वाले प्राकृतिक जल चैनल नहीं हैं।

अवरुद्ध कर दिया। ई. ए. सी. ने प्राकृतिक/कृत्रिम के पूरे सरगम की समीक्षा की

जल निकासी और तूफानी जल निकासी पैटर्न। के अनुसार अब प्रदान की गई पूरक जानकारी, हवाई अड्डा स्थल, एक पठार और लेटराइट मिट्टी की सतह पर स्थित होने के कारण,

प्राकृतिक रूप से तूफान के पानी और अन्य कृत्रिम प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है।

जल निकासी। प्रस्तावक ने उपयुक्त जल निकासी चैनलों के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया है कि परियोजना स्थल से पानी के प्रवाह को ढलान के नीचे जल निकायों को पानी देने वाले प्राकृतिक जल चैनलों में उपयुक्त रूप से प्रवाहित किया जाए। हालाँकि, निर्माण चरण के दौरान सभी उचित सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

निर्माण सामग्री/मलबा किसी भी तरह से अवरोध/बाधा नहीं डालता है।

प्राकृतिक जल चैनल या झरने।

ईएसी ने परियोजना की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया

निर्माण और नोट किया कि आगामी मानसून के मौसम में

खुदाई के कारण परियोजना स्थल पर जमा हुई मिट्टी प्राकृतिक जल चैनलों की ओर बह सकती है जो अंततः पानी तक पहुंच सकती है।

गाँवों में शव। यह गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय है जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा आसपास तटबंध संरचनाओं के विकास द्वारा तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है।

खुदाई की गई पृथ्वी ताकि ढेर की गई पृथ्वी प्राकृतिक जलमार्गों की ओर न जाए और स्थल से बहने से जल निकाय प्रदूषित या दूषित न हों। इसे बनाए रखा जाएगा।

परियोजना के निर्माण/संचालन चरण के दौरान।

12. सी परामर्श के दौरान उठाई गई चिंताओं के संबंध में, ई. ए. सी. ने पर्यावरणीय चिंताओं से निपटा जो डीडः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" वर्षा जल संचयन, एसटीपी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना,

वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव, मिट्टी की गुणवत्ता और इसका प्रभाव, तूफानी जल प्रबंधन, भूजल पर प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, निर्माण गतिविधि के दौरान धूल प्रदूषण, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर, प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा।

ई. ए. सी. ने राय दी है कि इन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।

13. अंत में, उसके समक्ष प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद, उसने अपने विश्लेषण का सारांश इस प्रकार दियाः

" 1. ई. ए. सी. ने पाया कि पहले के प्रपत्र-1 में उचित जानकारी नहीं दी गई थी

भूमि और आसपास की आर्द्र भूमि के साथ-साथ जल निकायों पर वनों के विवरण के संबंध में प्रकटीकरण। ई. ए. सी. ने प्रस्तुत की गई पूरक रिपोर्ट को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया है कि

प्रकटीकरण की कमी को ध्यान में रखते हुए और पूरक रिपोर्ट में इसी बात का पालन किया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कमी के संबंध में शमन उपाय परियोजना की भूमि और जल निकायों पर वन क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले दी गई मंजूरी के आधार पर परियोजना स्थल पर काटे गए 54,176 पेड़ों के मुकाबले, परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना स्थल पर 50,000 पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

2. ई. ए. सी. ने नोट किया कि न तो परियोजना स्थल और न ही अध्ययन के तहत क्षेत्र के गाँव (प्राथमिक डेटा स्रोत) किसी भी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. जेड.) में आते हैं। महाराष्ट्र की ओर के 10 गाँव ई. एस. ए. में आते हैं न कि ई. एस. जेड. में और जहाँ परियोजना का प्रभाव न्यूनतम होगा। ई. ए. सी. ने यह भी देखा कि गोवा और महाराष्ट्र क्षेत्र में परियोजना के आसपास के गांव बहुत करीब में स्थित नहीं हैं निकटता। निकटतम गाँव परियोजना की सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। ई. ए. सी. ने यह भी देखा कि 3.75 किलोमीटर के रनवे से परे, उड़ान संचालन आमतौर पर लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है और इस प्रकार रनवे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में वनस्पति और जीव।

उमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

3. ई. ए. सी. ने पाया कि राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन (सी. डब्ल्यू. एल. डब्ल्यू.) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

यह पुष्टि करते हुए कि परियोजना का कोई भी क्षेत्र गोवा राज्य में अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में नहीं आता है और कोई गतिविधि नहीं है

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिया जाएगा।

4. ई. ए. सी. ने आगे कहा कि पूरक रिपोर्ट के अनुसार

और परियोजना की भूमि में भूमि और लेटराइट सतह और झरनों, धाराओं और जलमार्गों के पठार प्रभाव के बारे में अवलोकन के संबंध में जल निकायों के प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है और निकटतम जलमार्गों/नदियों आदि में पानी के प्रवाह की देखभाल के लिए उपयुक्त जल निकासी चैनल तैयार किए गए हैं।

5. न केवल मानसून से पहले के मौसम के लिए बल्कि मानसून और भारी वर्षा के लिए भी उपयुक्त तूफानी जल निकासी चैनलिंग को ध्यान में रखा गया है। जल निकासी योजना को गोवा के संबंधित जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी जल प्रवाह हो। पठार में जलविभाजक चैनलों का रखरखाव किया जाता है। वर्तमान में, पानी के प्रवाह पर आधार स्तर के आंकड़ों को एकत्र किया जाना चाहिए और भविष्य की निगरानी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

6. ई. ए. सी. ने देखा कि जीवों के संबंध में, प्राथमिक

7. यह सिल्वीकल्चरल विज्ञान और प्रथा का एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि कोई भी वृक्षारोपण प्राकृतिक वन की जगह नहीं ले सकता है। किस तरह का किसी भी प्राकृतिक वन में जैव विविधता को किसी भी प्रकार की वृक्षारोपण गतिविधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना लगभग असंभव है जो विभिन्न एकल संस्कृतियों का मिश्रण हो सकता है। हम अभी भी अपने ज्ञान में बहुत दूर हैं

प्राकृतिक वन के निर्माण की प्रतिकृति बनाना। इसलिए इस हद तक ई. ए. सी. परियोजना प्रस्तावक के मूल्यांकन से सहमत नहीं है। कि पेड़ों को काटने और 1 लगाने के बादः 10 पेड़, समृद्ध जैव विविधता से वन का निर्माण होगा। हालांकि, 1: 10 विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण गतिविधि कुछ हद तक क्षतिपूर्ति कर सकती है।

प्राकृतिक वन का नुकसान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. सार्वजनिक सुनवाई में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं के संबंध में,

सार्वजनिक सुनवाई पर विभिन्न चिंताओं पर उपलब्ध बिंदु-वार स्पष्टीकरण। तथापि, माननीय न्यायालय ने 14 मदों को चुना सार्वजनिक सुनवाई में चिंता। इन सभी के लिए समाधान/प्रबंधन योजना को ई. एम. पी. में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए और अक्षर और भावना में लागू किया जाना चाहिए। "

14. तदनुसार, ई. ए. सी. ने अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और शर्तों के साथ एक ई. सी. परियोजना के अनुदान की सिफारिश की है, और उन शर्तों के अलावा जो (i) 28 अक्टूबर को ई. सी. और (ii) 21 अगस्त 2018 को एन. जी. टी. के आदेश में निर्धारित किए गए थे। ई. ए. सी. द्वारा लगाई गई शर्तों को वर्गीकृत किया गया है

विंग हेड्सः

((i)

वैधानिक अनुपालन;

((ख)

वायु गुणवत्ता की निगरानी और संरक्षण; जल गुणवत्ता की निगरानी और संरक्षण;

(iii) (3. शोर की निगरानी और रोकथाम;

ऊर्जा संरक्षण/जलवायु परिवर्तन के उपाय;

(v)

(vii) ग्रीन बेल्ट; और 3 (viii) सार्वजनिक सुनवाई और मानव स्वास्थ्य के मुद्दे।

15. ई. ए. सी. ने भी अपने हिस्से के रूप में शामिल किया है।

एन. जी. टी. द्वारा अनिवार्य अतिरिक्त शर्तों में संशोधन

दिनांक 21 अगस्त 2018 निम्नलिखित शीर्षों के तहतः

((i) वायु पर्यावरण;

((ख) जल पर्यावरण।

(v) भूमि पर्यावरण; (vi) जैविक पर्यावरण; और

((vii) सामाजिक-आर्थिक वातावरण।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी. 1 शून्य-कार्बन कार्यक्रम

16. इस अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान रियायत पाने वाले जी. एम. आर. गोवा इंटरनेशनल की ओर से एक बयान दिया गया है।

एयरपोर्ट लिमिटेड, कि इस न्यायालय द्वारा परियोजना के लिए ईसी को बनाए रखने की स्थिति में, यह मोपा गोवा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को शून्य कार्बन हवाई अड्डे के संचालन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शून्य कार्बन हवाई अड्डे के संचालन का उद्देश्य इसे समाप्त करना है।

मानवजनित कार्बन उत्सर्जन अपने संचालन के दौरान की गई हवाई अड्डे की गतिविधियों से पूरी तरह से या न्यूनतम संभव सीमा तक वायुमंडल तक पहुँचता है। बयान जो प्रस्तुत किया गया है

इस न्यायालय के समक्ष रियायत प्राप्तकर्ता निम्नलिखित शर्तों में है:

" I. शून्य कार्बन कार्यक्रम

1. "शून्य कार्बन" हवाई अड्डे के संचालन का उद्देश्य मानवजनित कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करना है।

अपने संचालन के दौरान हवाई अड्डे पर की गई गतिविधियों से पूरी तरह से या न्यूनतम संभव सीमा तक वातावरण।

2. जलवायु परिवर्तन और विमानन उद्योग में इसके शमन की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा की जाती है और घरेलू विमानन से होने वाले उत्सर्जन की निगरानी संयुक्त राष्ट्र ढांचे के तहत संबंधित देशों द्वारा की जाती है

जलवायु परिवर्तन पर समझौता (यू. एन. एफ. सी. सी. सी.) ढांचा।

3. कार्बन उत्सर्जन प्रबंधन को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हवाई अड्डे के माध्यम से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा निर्देशित किया जाता है।

कार्बन प्रत्यायन (ए. सी. ए.) कार्यक्रम

4. हवाई अड्डों में, इसे बुनियादी ढांचे/प्रणालियों को विकसित करके संबोधित किया जाता है जो यू. एन. एफ. सी. सी. सी. द्वारा अनुमोदित बाजार के अनुसार अपने संचालन के दौरान शून्य या न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करेंगे।

तंत्र द्वारा:

ए। हरित भवन अवधारणाओं को अपनाना,

बी। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग,

सी। ऊर्जा कुशल प्रणालियों का उपयोग,

डी। हरित परिदृश्यों का विकास करना,
ई. कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए कार्बन सिंक के रूप में वृक्षारोपण

एफ. अवशिष्ट उत्सर्जन के लिए कार्बन ऑफसेट उपायों को अपनाना

हवाई अड्डे के संचालन

5. स्तर 3 + हवाई अड्डों के कार्बन उत्सर्जन प्रबंधन के लिए मान्यता का उच्चतम स्तर है। 30 जुलाई, 2019 तक, 52 थे।

स्तर 3 + (तटस्थता) मान्यता प्राप्त हवाई अड्डे विश्व स्तर पर (1,957 एसीआई सदस्य हवाई अड्डों में से), जिसमें जी. एम. आर. समूह की दिल्ली और

हैदराबाद हवाई अड्डे (प्रत्यर्थी सं।

5 , पीपी। 23-24) .

6. स्तर 3 + तटस्थता स्तर 1,2 और 3 प्रत्यायन कार्यक्रम (आर-5 शपथ पत्र, पृष्ठ) की आवश्यकताओं को पूरा करके प्राप्त की जाती है।

17) और हवाई अड्डे के नियंत्रण में अवशिष्ट उत्सर्जन की भरपाई। (ए. सी. ए. कार्यक्रम पृष्ठ 18 के तहत उत्सर्जन के स्रोत और उपाय)। शून्य कार्बन उत्सर्जन कार्यान्वयन

फ्रेमवर्क विभिन्न उपायों के लिए प्रदान करता है जैसे किः

ए। दो साल में एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा

बी। हर 5 साल के बाद बाहरी लेखा परीक्षा

सी। ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली अपनाना-आई. एस. ओ. 50001 और तीसरा

पार्टी प्रमाणन

डी। भवनों और उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार और

रोशनी,

ई. भूजल की उपलब्धता में सुधार करें एफ. ऊर्जा कुशल और वैकल्पिक ईंधन वाहनों को बढ़ावा देना।

सी. प्रस्तावित हवाई अड्डे की उत्पत्ति

17. इससे पहले कि हम सुश्री अनीता वाई, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत मूल अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष संबोधित सैद्धांतिक चुनौतियों से निपटें, मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बारे में संक्षेप में बताना सार्थक होगा, भारत के लिए एड अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने निष्कासन की निम्नलिखित विशेषताओं पर जोर दियाः

(i) मोपा गोवा में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है।

लगभग दो दशकों तक ड्राइंग बोर्ड;

(ii) नियत समय के बाद मोपावास में तीन विकल्पों में से एक स्थान का चयन किया गया।

विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(iii) दाबोलिम में मौजूदा हवाई अड्डा एक रक्षा प्रतिष्ठान है जो 8 के बीच क्षेत्र यातायात के लिए बंद है: 30 1 पर हूँ: 30 पी एम

दैनिक;

(iv) दाबोलिम में मौजूदा हवाई अड्डे का उद्देश्य मौजूदा यात्री यातायात के दौरान सालाना चालीस लाख यात्रियों की सेवा करना था।

लगभग 7.5 लाख सालाना है;

(v) आगामी वित्तीय वर्षों में गोवा में यात्री यातायात में निम्नलिखित सीमा तक वृद्धि होने की उम्मीद है:

वित्त वर्ष 25

वित्त वर्ष 23

वित्त वर्ष 21

वित्त वर्ष 24

वित्त वर्ष 22

14.1

16.7

15.5

12.0

17.9

(लाखों यात्री)

(vi) क्षमता की कमी के कारण, अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानें हैं -

दाबोलिम में रात में पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई; और

(vii) प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में संभालने की क्षमता होगी।

4.4 चरण-I में दस लाख यात्री, 13 लाख यात्री

चरण-II और चरण-III में सालाना 3 करोड़ यात्री।

18. प्रस्तावित मोपा हवाई अड्डे का परियोजना क्षेत्र चारों ओर फैला हुआ है।

2,131 एकड़। संदर्भ की शर्तें 1 जून 2011 को जारी की गई थीं और 19 जून 2013 और 29 मई 2015 को बढ़ा दी गई थीं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2008 के आसपास शुरू की गई थी। मोपा हवाई अड्डे के लिए योग्यता 1 13 के लिए अनुरोध 3 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। ई. सी. 28 अक्टूबर 2015 को दिया गया था। रियायत समझौते को 8 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे को 4 सितंबर 2017 से छत्तीस महीने के भीतर चालू होना आवश्यक है। रियायत पाने वाले के अनुसार, 18 जनवरी 2019 तक, परियोजना का लगभग 14.06 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। पेड़ों को हटाने के आदेशों के अनुसार, 54,176 पेड़ों को काटा गया और 500 पेड़ों को प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित किया गया। काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए स्थानीय प्रजातियों के दस पेड़ों को फिर से लगाया जाना है। 20,000 पौधें हैं। पुनः रोपण किया गया। रियायत पाने वाले ने परियोजना की निम्नलिखित वित्तीय विशेषताओं को दर्ज किया हैः

" ए। मोपा हवाई अड्डे के पहले चरण की सांकेतिक पूंजी लागत थी

अनुमानित रूप से 1,900 करोड़ रुपये। कुल परियोजना लागत अनुमानित थी 3, 000 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत इक्विटी)।

बी। उत्तरदाता संख्या 5 द्वारा किए गए कुल ऋण की प्रतिबद्धता

मोपा हवाई अड्डा लगभग 1,330 करोड़ रुपये का है।

सी। प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा की गई वार्षिक ऋण सेवा

वर्तमान संवितरण पर लगभग 17 करोड़ रुपये है।

डी। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने भी अनुबंध किया है।

निम्नलिखित राशियों के लिए प्रतिबद्धता-1,377 करोड़ रुपये। की ओर

इंजीनियरिंग अनुबंध, परियोजना सलाहकार आई. एन. आर. 38 करोड़।

स्वतंत्र अभियंता INR 11 करोड़। कुल-INR 1,426 करोड़।

ई. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.01.2019 के आदेश से पहले

परियोजना स्थल पर कार्यबल लाभप्रद रूप से लगे हुए थे आवश्यक संयंत्र और मशीनरी के साथ।

एफ. गोवा में अनुमानित यातायात (लाखों में यात्री) है।

प्रति वर्ष यात्री-एमपीपीए):

वित्त वर्ष 25

वित्त वर्ष 21

वित्त वर्ष 22 वित्त वर्ष 23

वित्त वर्ष 24

12.0

15.5

16.7

17.9

14.1

जी। निर्धारित प्रारंभ तिथि को नियुक्त तिथि (04.09.2017)-03.09.2020 से 3 वर्ष के रूप में माना गया था। एच. रियायत की अवधि नियुक्त तिथि से 40 वर्षों के लिए है जिसमें विस्तार के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को पहले इनकार करने का अधिकार है।

20 साल से।

आई. सकल राजस्व में जी. ओ. जी. का हिस्सा-36.99%

6 नियुक्त तिथि की शुरुआत का वर्ष "।

रियायत पाने वाले के अनुसार, निम्नलिखित कार्य में था

परियोजना स्थल पर जब ईसी का कार्यान्वयन किया गया थाः

" आई. एयरसाइड अर्थवर्क्स-इनमें खुदाई और भरना शामिल है

रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, पार्किंग बे आदि।

ii. पी. टी. बी.-नींव और स्तंभ कार्य प्रगति पर हैं, उमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

iii. ए. टी. सी. भवन-नींव के लिए खुदाई जारी है, iv. प्रशासनिक भवन-नींव और स्तंभ में काम करता है

प्रगति, प्रीकास्ट यौगिक दीवार पैनलों की ढलाई का काम करती है और

वी.

कॉलम प्रगति पर हैं,

vi. सिटी साइड डेवलपमेंट मास्टर प्लान का काम प्रगति पर है।

D. वर्तमान चुनौती

19. वर्तमान मामले में विवाद का सार यह है कि क्या इस न्यायालय के 29 मार्च 2019 के पहले के फैसले में जिन चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था, उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित और ठीक किया गया है।20. ई-अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अनीता शेनॉय ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के दिनांक 29 एच 2019 के फैसले द्वारा, ई. ए. सी. को सी. टी. को दिए गए ई. सी. पर पुनर्विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया गया था कि परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। हेनॉय ने दो प्रारंभिक बिंदुओं के साथ अपनी प्रस्तुतियों की शुरुआत कीः

(i) ई. ए. सी. (अवसंरचना-2) की संरचना जिसमें तेरह सदस्य हैं, इसे एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती है। कोई नहीं।

सदस्यों में से कुछ को पक्षी विज्ञान या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर विशेषज्ञता प्राप्त थी। ई. ए. सी. की अध्यक्षता एक पूर्व निदेशक द्वारा की जाती है

राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ सामाजिक विकास परिषद। इनमें से एक

सदस्यों की वास्तुकला की पृष्ठभूमि है, दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग में है जबकि सदस्यों में से एक कानून का प्रोफेसर है। कार्यवृत्त में यह खुलासा नहीं किया गया है कि क्या ई. ए. सी. ने किसी विषय विशेषज्ञ या विशेष संस्थान की राय मांगी है; और

((ii) ई. आई. ए. सलाहकार की ओर से हितों का टकराव है जिसने ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार की थी। ई. ए. सी. की बैठक की तारीख तक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ई. आई. ए. सलाहकार था।

साथ ही परियोजना पर एक स्वतंत्र इंजीनियर। ई. ए. सी. कार्यवृत्त ने दर्ज किया कि परियोजना प्रस्तावक और ई. आई. एल. ने इस न्यायालय की टिप्पणियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ। ई. आई. एल. एक ई. आई. ए. सलाहकार के रूप में अपने कार्यों का बचाव कर रहा था, जबकि एक ही समय में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर था। इसमें हितों का टकराव शामिल है।

उपरोक्त प्रारंभिक बिंदुओं को संबोधित करने के अलावा, सुश्री शेनॉय ने निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

((i) वन;

((ii) पश्चिमी घाट;

((ग) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र और

((iv) पक्षियों-जीवों के अध्ययन की अनुपस्थिति।

21. उपरोक्त चार पहलुओं पर प्रस्तुतियों के आधार पर, सुश्री शेनॉय ने ई. ए. सी. द्वारा सुझाए गए शमन उपायों और आवश्यकता पर ध्यान दिया है

सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया के दौरान संबोधित की गई आपत्तियों को ध्यान में रखना। सुश्री शेनॉय ने आग्रह किया कि ई. ए. सी. कार्यवृत्त वस्तुतः रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति का एक प्रतिरूप है और ई. ए. सी. इस न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य रूप से ई. सी. पर पुनर्विचार करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। जिन प्रस्तुतियों को ऊपर उल्लिखित चार शीर्षों में से प्रत्येक के तहत संबोधित किया गया था, वे नीचे सूचीबद्ध हैंः

((i)

जंगल।

अद्यतन प्रपत्र 1 में निहित पूरक जानकारी में परियोजना प्रस्तावक ने पैंतीस लोगों की सूची का खुलासा किया था।

परियोजना स्थल के आसपास प्रस्तावित आरक्षित वन। हालांकि, हवाई अड्डे की आवश्यकता के अनुसार रिमोट सेंसिंग या ग्राउंड ट्रुथिंग के माध्यम से प्राथमिक डेटा का कोई संग्रह नहीं किया गया है

मार्गदर्शन नियमावली। नव प्रकटित वनों पर प्रस्तावित परियोजना का कोई प्रभाव अध्ययन नहीं किया गया था। ई. ए. सी.

हवाई अड्डे के निर्माण के संभावित प्रभाव का अध्ययन किए बिना केवल इस तथ्य को दर्ज किया है कि पश्चिमी घाट अध्ययन क्षेत्र के भीतर आते हैं। एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने इस अदालत के समक्ष अपने हलफनामे में हालांकि यह तर्क देना चाहा कि पश्चिमी घाट परियोजना से बहुत दूर हैं और हवाई अड्डे के संचालन के कारण प्रभाव न्यूनतम होगा। हालाँकि पश्चिमी घाट के ई. एस. ए. में स्थित महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुका में दस गाँव हैं, लेकिन उनकी भेद्यता का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने दर्ज किया कि बाघ और हाथी गलियारे ज्यादातर पश्चिमी घाट के ई. एस. ए. में आते हैं। इस प्रकार, ई. ए. सी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ई. एस. ए. पर यह जाने बिना कोई प्रभाव नहीं

पड़ेगा कि ई. एस. ए. को अधिसूचित क्यों किया जाना प्रस्तावित है और एन. लैक्समैन ए. आर. ओ. एस. के. वी. को लिए बिना।

भारत और ओआरएस का संघ। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक प्रभाव मूल्यांकन करें। ई. ए. सी. ने परियोजना स्थल पर पेड़ों की कटाई के मुद्दे की तुलना स्थल के आसपास के 42 जंगलों पर प्रभाव के मुद्दे से की है। हालाँकि, अपने सारांश में, ई. ए. सी. ने स्वीकार किया है कि प्रतिपूरक वन कभी भी प्राकृतिक वन की जगह नहीं ले सकते हैं। पश्चिमी घाटों पर प्रभाव

ई. ए. सी. ने केवल इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पश्चिमी घाट अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्वीकार करते हुए

गतिविधि के संभावित प्रभाव के लिए विज्ञापित। एच. एल. डब्ल्यू. जी. रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया गया है। ई. ए. सी. द्वारा एक अध्ययन की अनुपस्थिति, सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं।

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र ई. ए. सी. ने नोट किया है कि तालुका के दस गाँव

सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पश्चिमी घाट के ई. एस. ए. में स्थित हैं। ई. ए. सी. को यह निर्धारित करना चाहिए था कि प्रत्येक ई. एस. ए. को पारिस्थितिक रूप से क्या संवेदनशील बनाता है और उनकी कमजोरियों के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। ई. ए. सी. ने प्रत्येक ई. एस. ए. की विशिष्ट भेद्यता का पता लगाने का प्रयास नहीं किया है और एक सामान्य व्याख्या के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज की है।

वनस्पति और जीव-जन्तु ई. आई. ए. रिपोर्ट में वनस्पतियों और जीवों के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह कार्यात्मक नहीं था। संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील वनस्पतियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र या

प्रजनन, चारा, घोंसला बनाना, आराम करना, अधिक सर्दी या प्रवास के लिए जीवों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा विचार नहीं किया गया था। ई. ए. सी. ने केवल कई अतिरिक्त प्रजातियों को शामिल किया, स्रोत के रूप में जेड. एस. आई. के प्रकाशन का हवाला देते हुए, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आपूर्ति की गई थी। महाराष्ट्र-गोवा सीमा के पास पाई जाने वाली प्रजातियों के साथ-साथ पूरे भारत में वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों में कम से कम 1172 प्रजातियां दिखाई देती हैं। दूसरी ओर, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रजातियों की सूची इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना क्षेत्र के आसपास 42 घने जंगल हैं, यहाँ एक भी अनुसूचित I प्रजाति नहीं है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे भारतीय हाथी, शाही बंगाल

बाघ और तेंदुए को बाहर रखा गया है। ई. ए. सी. ने इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पक्षियों का अध्ययन करने का निर्देश नहीं दिया, केवल पक्षियों का संदर्भ दिया गया था।

हमला करते हैं।

22. ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तावित शमन उपायों के संबंध में,

सुश्री शेनॉय ने प्रस्तुत किया कि हवाई अड्डा मार्गदर्शन नियमावली की आवश्यकता है जैविक पर्यावरण पर प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना के प्रभावों और इन प्रभावों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का गहन अध्ययन।

15 कि. मी. में पर्यावरण की स्थिति से संबंधित जानकारी। त्रिज्या को ई. ए. सी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई प्राथमिक या

द्वितीयक डेटा संग्रह। हालाँकि ई. ए. सी. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रभाव न्यूनतम होगा। ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे की विशिष्ट स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुश्री शेनॉय ने अंततः आग्रह किया कि कोई भी प्रभावी शमन उपाय तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक किः

(i) वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी।

अध्ययन क्षेत्र में मौजूद है;

((ii) एक वैज्ञानिक उद्देश्य और संभावनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन।

प्रस्तावित परियोजना का प्रभाव डाला जाता है; और

(iii) ई. ए. सी. द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या

क्षति और प्रभाव को कम किया जा सकता है।

डी. 1 ई. ए. सी. की क्षेत्र विशेषज्ञता

23. पहला पहलू जो जांच के योग्य है, वह है इस क्षेत्र के खिलाफ विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री अनीता शेनॉय द्वारा की गई आलोचना।

ई. ए. सी. की विशेषज्ञता। शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ईएसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर-2 सेक्टर) का गठन एमओईएफ-सीसी के 7 जनवरी 2019 के एक आदेश के तहत किया गया था। समिति की संरचना इस प्रकार थीः

((i) प्रो. टी हक, सेवानिवृत्त। निदेशक और सी. ई. ओ., सामाजिक परिषद

विकास;

((ii) डॉ. एन. पी. शुक्ला, पूर्व। अध्यक्ष, एम. पी. पी. सी. बी., भोपाल;

(v) डॉ. वी. एस. नायडू, सदस्य;

(vi) श्री.

बी. सी. निगम, सदस्य; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vii) डॉ. मनोरानियन होता, सदस्य;

(viii) डॉ. दीपांकर साहा, सदस्य;

(ix) डॉ. जायेश रूपारेलिया, सदस्य;

(x) डॉ. (श्रीमती) मयूरी एच. पांड्या, सदस्य;

@ (xi) डॉ. एम. वी. रमण मूर्ति, सदस्य;

(xii) वास्तुकला और योजना विद्यालय के प्रतिनिधि,

नई दिल्ली, सदस्य (नामित किए जाने के लिए);

(xiii) एडल। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के निदेशक/निदेशक/सलाहकार, सदस्य

सचिव।

24. प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और परिणामों के संदर्भ में मूल्यांकन करने में ई. ए. सी. की महत्वपूर्ण भूमिका है। द.

इसमें प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। अंततः उस निर्णय की वैधता जिस पर निर्णय लिया गया है निर्णय के दौरान ई. ए. सी. का मूल्यांकन किया जाएगा। इस स्तर पर, हम इस आधार पर एक सामान्यीकृत चुनौती को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि ई. ए. सी. के सदस्यों के पास क्षेत्र विशेषज्ञता की कमी है।

25. दो पहलुओं पर जोर देना आवश्यक है: सबसे पहले, खंड के तहत

4 (vii) ई. ए. सी. का गठन करने वाले 7 जनवरी 2019 के आदेश के अनुसार, अध्यक्ष को समिति की किसी विशेष बैठक के लिए सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ का सह-चयन करने का अधिकार है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जिनका मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए ई. ए. सी. को बुलाया जाता है, वे एक विशिष्ट सांचे में नहीं आती हैं। इसलिए, ई. ए. सी. को सहायक प्रावधान के साथ जुड़ना चाहिए जो खंड 4 (vii) में सह-चयन विशेषज्ञों के लिए किया गया है। इस सक्षम विवेकाधिकार का प्रयोग अनुमति देकर ई. ए. सी. के काम को सुविधाजनक बनाएगा किसी विशेष [2020] एस. सी. आर. में किसी विशेषज्ञ के ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ।

इसके लिए विषय क्षेत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी विशेषज्ञ का सह-चयन करने में विफलता, परिणामस्वरूप, ई. ए. सी. द्वारा आयोजित अभ्यास को अमान्य नहीं करती है। लेकिन सह-चयन विशेषज्ञों की वांछनीयता की आवश्यकताएँ

उनकी साख या उनके अनुभव का अपमान करते हुए, फिर भी यह वांछनीय है कि ई. ए. सी. के सदस्यों में एक क्रॉस सेक्शन शामिल होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रभाव रखने वाले विभिन्न विशिष्टताओं से लिए गए व्यक्ति। जहां ई. ए. सी. को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से निपटना है, वहां निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना आवश्यक है जो पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप बुनियादी ढांचे के संतुलित विकास की आवश्यकता से परिचित हैं।

26. हम केंद्र सरकार की दृढ़ता से सराहना करते हैं कि ई. ए. सी. की संरचना में व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के संबंध में विभिन्न विषयों का विशेष ज्ञान

संरक्षण। केंद्र सरकार को इस तरह की कवायद की सराहना करने के बाद, हम इस मामले को वहीं छोड़ देंगे। जैसा कि हमने पहले देखा है, 23 अप्रैल 2019 के कार्यवृत्त की चुनौती को गुण-दोष के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए, इस न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार नहीं है कि ई. ए. सी. के पास अपनी सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञता की कमी है।

D. 2 हितों का टकराव

27. सुश्री शेनॉय द्वारा आग्रह किया गया दूसरा प्रारंभिक बिंदु ई. आई. एल. की भूमिका और ई. आई. ए. के रूप में स्थिति में हितों के टकराव का था। परियोजना के लिए सलाहकार के साथ-साथ एक स्वतंत्र इंजीनियर भी। भारत के लिए महान्यायवादी ने अपनी ओर से प्रस्तुतियों के लिखित नोट में

गोवा राज्य ने प्रस्तुत किया है कि ई. आई. एल. को 2012 में ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ई. आई. एल. का कार्य संपन्न हुआ 28 अक्टूबर 2015 को एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा एक ई. सी. जारी करने पर। इसके बाद, गोवा सरकार ने एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की।

2017 में निर्माण कार्य की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र अभियंता। ईआईएल

बोली को सुरक्षित किया और दिसंबर 2017 में एक स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में बोर्ड पर आया। इस अदालत के 29 मार्च 2019 के फैसले के बाद, जिसके द्वारा ई. ए. सी. को ई. सी. की शर्तों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया था, गोवा सरकार ने ई. आई. एल. की सहायता मांगी, जिसके लेखक हनुमन लक्ष्मण अरोस्कर बनाम थे।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई. ए. सी. के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करते हुए ई. आई. ए. की रिपोर्ट। इसलिए, विद्वान महान्यायवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ई. आई. एल. को परियोजना के लिए एक स्वतंत्र अभियंता के रूप में 28 अक्टूबर 2015 को ई. सी. द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद और एक प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका आई. सी. ए. ओ. मानकों के अनुसार हवाई अड्डे के निर्माण की निगरानी करना है। हवाई अड्डे का प्रमाणन और लाइसेंस भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशक के अधिकार क्षेत्र में है। ईसी में निहित पर्यावरणीय स्थितियों के अनुपालन की निगरानी बेंगलुरु में एमओईएफ-सीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा, एमओईएफ-सीसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री एएनएस नाडकर्णी ने आग्रह किया कि ईसी के अनुदान के संबंध में निर्णय एमओईएफ-सीसी के पास है। तथ्य यह है कि ई. आई. एल. जिनकी सेवाएं एक के रूप में लगी हुई थीं

ई. आई. ए. सलाहकार को बाद में एक स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि ई. सी. के प्रारंभिक अनुदान के परिणामस्वरूप ई. सी. अमान्य नहीं होगा।

डी. 3 पश्चिमी घाट और ईएसएएस

28. पश्चिमी घाट और ई. एस. ए. एस. के संबंध में सुश्री अनीता शेनॉय की चिंताओं को संबोधित करते हुए, श्री नाडकर्णी ने आग्रह किया कि कस्तूरिरंगन समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकी के संरक्षण, संरक्षण और कायाकल्प के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत और न्यायसंगत विकास के लिए एक सर्वांगीण और समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया था। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की सहायता से पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ पद्धति विकसित की है।

पश्चिमी घाट में ई. एस. ए. ऐसा करने में, एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने वन और वनस्पति के प्रकार, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य, वन विखंडन, जैविक समृद्धि, गाँव की सीमाओं, जनसंख्या घनत्व, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव गलियारों और विश्व विरासत सहित विविध मानकों को ध्यान में रखा। अन्य विचारों के बीच साइटें। अध्ययन क्षेत्र के भीतर आने वाले दस ई. एस. ए. को शमन उपायों के साथ रिपोर्ट में प्रकट किया गया है। यह आग्रह किया गया कि विस्तृत चर्चा पर, यह पाया गया कि प्रभाव

परियोजना के परिणामस्वरूप ये ई. एस. ए. न्यूनतम होंगे। यह आग्रह किया गया कि जिस क्षेत्र में परियोजना स्थल स्थित है, उसकी पहचान ई. एस. ए. के रूप में नहीं की गई है। महाराष्ट्र राज्य में पहचाना गया निकटतम गाँव-गेलेल-परियोजना स्थल की सीमा से 4.1 कि. मी. की हवाई दूरी पर है।

वन्यजीव गलियारे। निकटतम चिन्हित गलियारा, जिसे प्रस्तुत किया गया था, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर है जो परियोजना स्थल से बहुत दूर है। 29. 15 अप्रैल 2013 की पश्चिमी घाटों पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के खंड-1 में इसका सारांश है -

सिफारिशें। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र छह राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें से 60,000 वर्ग किलोमीटर 37 प्रति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

पश्चिमी घाट के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की पहचान ई. एस. ए. के रूप में की गई है। इस संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया हैः

" एच. एल. डब्ल्यू. जी. द्वारा लगभग 60,000 वर्ग कि. मी. प्राकृतिक परिदृश्य (पश्चिमी घाट क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 37 प्रतिशत) की पहचान पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. ए.) के रूप में की गई है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र के 6 राज्यों में 1500 कि. मी. की दूरी तक फैली वनस्पति के लगभग एक सन्निहित समूह का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें संरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। ई. एस. ए. की सीमांकन इकाई गाँव है। आई. आर. एस. एल. आई. एस. एस. III ने वनस्पति प्रकार और परिदृश्य स्तर सूचकांकों (24 मीटर के ठीक स्थानिक संकल्प के साथ) पर स्थानिक परतों का उपयोग किया।

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान (ई. एस. ए. एस.)।

डब्ल्यू. जी. क्षेत्र में सतत विकास की सुविधा के लिए, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं, गैर ई. एस. ए. में शामिल हैं

ज्यादातर सांस्कृतिक परिदृश्य का भी सीमांकन किया गया है। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार को जनहित में एच. एल. डब्ल्यू. जी. द्वारा सीमांकित ई. एस. ए. क्षेत्र को तुरंत अधिसूचित करना चाहिए। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट है। इस अधिसूचित क्षेत्र में, विकास प्रतिबंध के रूप में इस रिपोर्ट में सुझाए गए सुझाव लागू होंगे।

विकास पर प्रतिबंधों से संबंधित अपनी सिफारिशों में

प्रस्तावित ई. एस. ए. में, रिपोर्ट में कहा गया हैः

" एच. एल. डब्ल्यू. जी. उन गतिविधियों के लिए ई. एस. ए. में एक निषेधात्मक और विनियामक व्यवस्था की सिफारिश कर रहा है जिनमें अधिकतम हस्तक्षेप और

आवश्यकताएँ, निकासी से पहले "। एच. एल. डब्ल्यू. जी. की सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैंः

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" अन्य सभी अवसंरचना और विकास परियोजनाएं ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 के तहत श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के तहत पर्यावरण मंजूरी के अधीन होनी चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी विकास परियोजनाएं

घाट ई. एस. ए. और आवश्यक पर्यावरण मंजूरी (ई. सी.) को ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

30. कस्तूरिरंगन समिति की रिपोर्ट के अध्याय IV ने पश्चिमी घाटों की स्वीकृत परिभाषा के अभाव में, ई. एस. ए. की पहचान करने के लिए पश्चिमी घाटों की सीमाओं को परिभाषित करने और सीमांकन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की व्याख्या की। अध्याय 5 में प्राकृतिक संसाधनों के भीतर ई. एस. ए. को चित्रित करने के लिए एक वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

एक इकाई के रूप में गाँव के साथ परिदृश्य। इस संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया हैः

ई. एस. ए. के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और ई. एस. ए. के अंतर्गत आने वाले गाँवों की संख्या के संदर्भ में 188 तालुकों के लिए एच. एल. डब्ल्यू. जी. का विश्लेषण किया जाता है। पश्चिमी घाट के नक्शे जिसमें वनस्पति और भूमि आवरण वर्ग, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य, जैव विविधता की समृद्धि, विखंडन और मानव जनसंख्या घनत्व और ई. एस. ए., और छह राज्यों में से प्रत्येक के नक्शे जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य और ई. एस. ए. को दर्शाते हैं, वे भी हैं। प्रदान किया गया "।

रिपोर्ट के अध्याय III में पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। पश्चिमी घाटों का सीमांकन करने में अपनाए गए मानदंडों की व्याख्या करते हुए,

कस्तूरिरंगन समिति की रिपोर्ट टिप्पणियाँः

" एच. एल. डब्ल्यू. जी., भूवैज्ञानिक और रत्न संबंधी अभाव में

डब्ल्यू. जी. का सीमांकन करने में ठोस मानदंड, मानदंडों को अपनाने का निर्णय लिया

समिति, क्योंकि घाट आमतौर पर 760-915 मीटर ऊंचे होते हैं। सभी 600 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर वे तालुका/ब्लॉक और 600 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वाले वे तालुका जो उच्च ऊंचाई से सटे हैं और इसका हिस्सा हैं।

पश्चिमी घाट विकास की प्रशासनिक सीमाएँ

कार्यक्रम पश्चिमी घाट विकास [2020] 1 एस. सी. आर. के तहत सूचीबद्ध हैं।

कार्यक्रम। इस मानदंड का भूवैज्ञानिक अर्थ है कि पूर्व में 600 मीटर की ऊँचाई पर डब्ल्यू. जी. दक्कन पठार से निकलता है, औसतन उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई के साथ डब्ल्यू. जी. की औसत ऊँचाई 600 मीटर से अधिक है, और अधिकांश घाटों की ऊँचाई 600 मीटर से अधिक है।

31. पश्चिमी घाट की जैव विविधता की ओर इशारा करते हुए, रिपोर्ट

टिप्पणियाँः

" पश्चिमी घाट में अद्वितीय वर्गीकरण पदानुक्रम, अवशेष पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत स्थानिक संघ हैं। शोला, मैंग्रोव, कंस, सूखे सदाबहार वन, दलदल, नक्काशी और

नदी बेल्ट अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। डब्ल्यू. जी. के वन दुनिया में गैर-भूमध्यरेखीय सदाबहार वनों के कुछ सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। इस विशाल विविधता केंद्र का संसाधन मूल्य लकड़ी-गैर-लकड़ी श्रेणी से लेकर जंगल-पारिस्थितिकी पर्यटन से लेकर औषधीय पौधों के जीन पूल तक फैला हुआ है।

सुगंधित-खाद्य-औद्योगिक मूल्य।

पुष्पों की दृष्टि से पश्चिमी घाट देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और फूलों के पौधों की कई प्रजातियों को आश्रय देता है, जिनमें से 56 सामान्य और 2100 प्रजातियां स्थानिक हैं।

32. एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने गोवा के तीन तालुकों को ई. एस. ए. एस. के रूप में सूचीबद्ध किया है। इन्हें निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया हैः

गाँवों की संख्या

जिला

तालुका

तालुका

राज्य

ईएसए

क्षेत्र

ई. एस. ए. के साथ

(किमी2)

406

515

56

सतारी

जा।

उत्तरी गोवा

कानकोन

362

284

5

दक्षिण गोवा

872

771

38

सांगुएम

1,749

1,461

जा।

99

कुल

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पाँच तालुक हैं: देवगढ़, कंकावली, कुडाल, सावंतवाड़ी और वैभववादी हैं।

ईएसएएस के रूप में सीमांकित किया गया।

नुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ और [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

33. एच. एल. डब्ल्यू. जी. की रिपोर्ट में चित्र 18 जो डीमा हंट और टाइगर कॉरिडोर है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

बंजर घाट ग्राम सीमा पर उच्च स्तरीय कार्य समूह के लिए तैयार इनपुट ई. एस. ए. इकाइयों को बाघ और हाथी गलियारों से भरा हुआ

एमएओएम 1.0. 0

पौराणिक कथाएँ

.

एलेपकोमिडोर

टाइगरकॉन्टिडोस

ईएसए

ए.

वी.

लॉग करें

120

0 15 30 60 90

| केटीएम

मार्टिन

पुनः 18: पश्चिमी घाट के ई. एस. ए. में वन्यजीव गलियारे (बाघ और हाथी) डब्ल्यू. आई. आई. से बाघ गलियारे के रूप में और हाथी गलियारे के डेटासेट से

ई प्रयुक्त)।

[

34. चित्र 21 गोवा के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पश्चिमी घाट क्षेत्र को चित्रित करता है और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

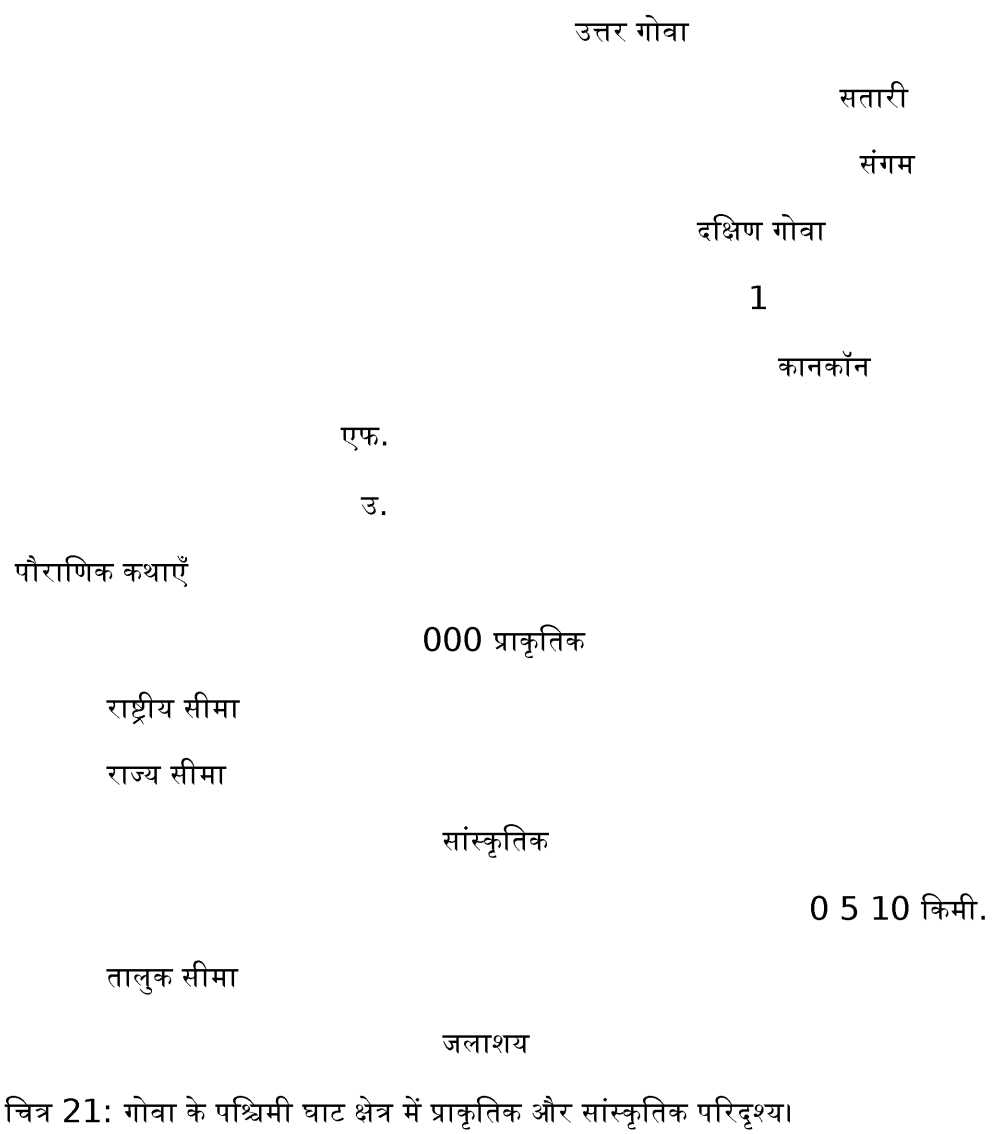

चित्र 21: गोवा के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य।

78 हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

35. गोवा के पश्चिमी घाट क्षेत्र में ई. एस. ए. को कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के चित्र 22 में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार हैः

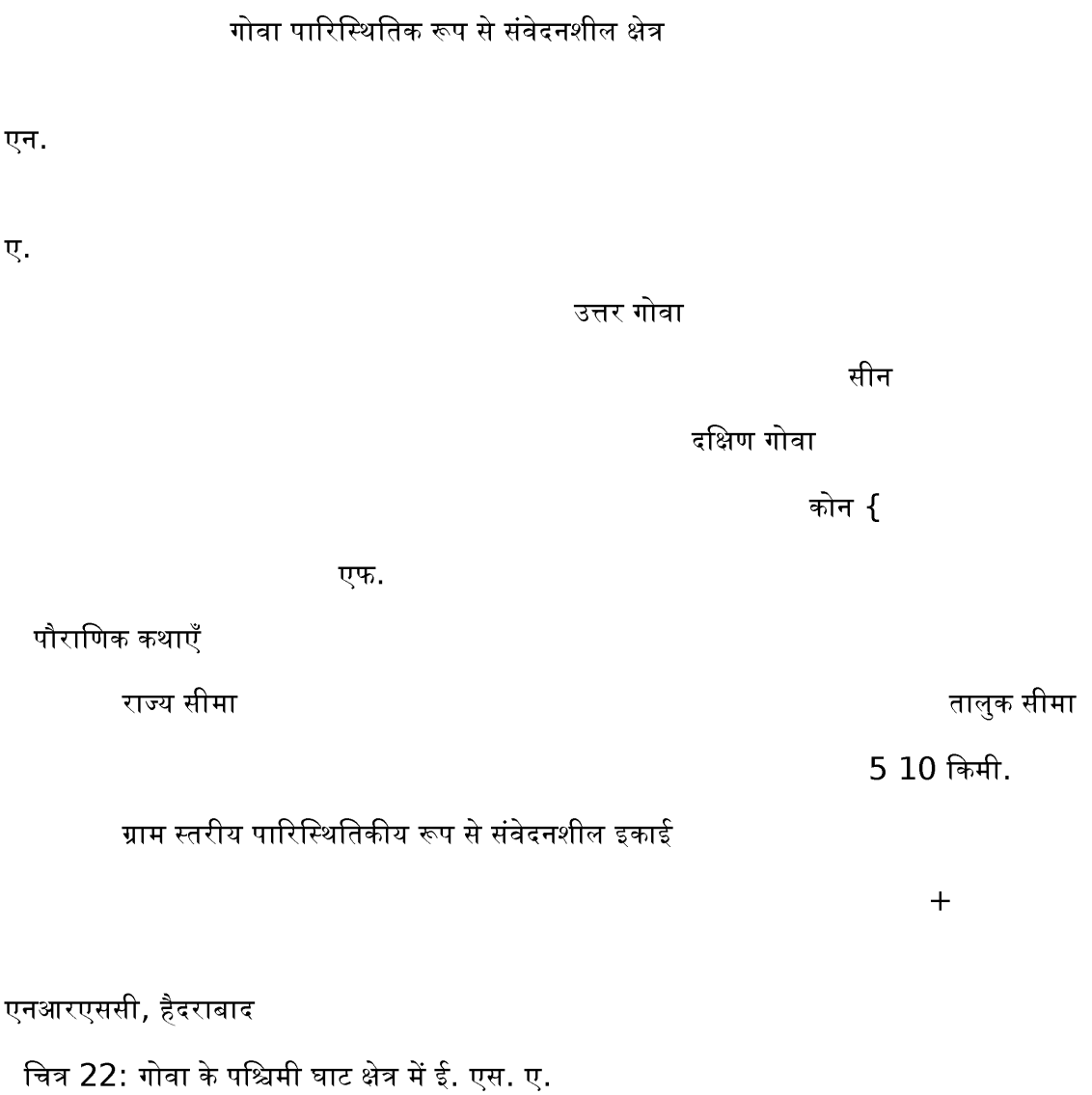

चित्र 22: गोवा के पश्चिमी घाट क्षेत्र में ई. एस. ए.

36. चित्र 23 महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का चित्रण प्रदान करता है।

निम्नलिखित हैः

महाराष्ट्रः प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य

एन.

$

उ.

पौराणिक कथाएँ एन राष्ट्रीय सीमा

प्राकृतिक

राज्य सीमा

सांस्कृतिक

0 35 70 किमी.

तालुक सीमा

जलाशय

एनआरएससी, हैदराबाद

चित्र 23: महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य।

80 ए. एन. लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

4 वन भूमि और वनस्पति और जीव-जंतुवन क्षेत्रों पर परियोजना के प्रभाव की ई. ए. सी. रायसल की सिफारिशों के खिलाफ आलोचना की गई है

प्रस्तुतियों में इस प्रकार हैः

गोवा और महाराष्ट्र सरकारों से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त, जिसका विवरण ई. ए. सी. द्वारा 23 अप्रैल 2019 के अपने कार्यवृत्त में 15 किलोमीटर के भीतर दर्ज किया गया है। परियोजना स्थल से रेडियल दूरी; गैर-प्रकटीकरण के बारे में चिंताओं को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभाव वाले वनों का विवरण देकर संबोधित किया गया था और

शमन के उपाय;

हवाई अड्डे के संचालन का हवा और शोर पर प्रभाव पर्यावरण आम तौर पर तब तक फैला रहेगा जब तक कि एक विमान 1000 फीट की ऊंचाई हासिल नहीं कर लेता। एयरपोर्ट गाइडेंस मैनुअल के अनुसार, जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर विमान से उत्सर्जन आमतौर पर प्रस्थान से लगभग 3 किमी या टचडाउन से 6 किमी की दूरी पर होगा। चूंकि हवाई अड्डा स्थल एमएसएल से 155 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए परियोजना स्थल के भीतर प्रस्थान के दौरान विमान की ऊंचाई 1000 फीट हो जाएगी। विमान संचालन एक समर्पित मार्ग का अनुसरण करता है जिसे फ़नल कहा जाता है, जिसमें इस मामले में लैंडिंग और टेकऑफ़ के लिए पूर्व-पश्चिम अभिविन्यास होता है। गोवा और महाराष्ट्र में हवाई अड्डा स्थल के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर मुख्य रूप से वनों और उनकी पारिस्थितिक विशेषताओं पर प्रभाव न्यूनतम होगा। परियोजना के प्रस्तावक ने मोपा क्षेत्र की एक गूगल छवि पर भरोसा किया है जो लैंडिंग के लिए एक अत्यधिक लगाए गए उड़ान मार्ग का संकेत देती है।

और हवाई अड्डे पर टेकऑफ़ जो नीचे निकाला गया हैः

0] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लैंडिंग और टेक-ऑफ फ़नल

मोपा हवाई अड्डा

चुर

इसी तरह, 10 किलोमीटर के भीतर सभी ई. एस. ए. के स्थान को दर्शाने वाली एक छवि। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोपा हवाई अड्डे के दायरे पर भरोसा किया गया है:

मोपा हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में ई. एस. ए. एस. प्रस्तावित स्थान

डीगेव

बांदा

रोनपाल

डिग्रे

मदुरा

गेल!

एरोस

डोंगरपाल

सतीर सतार्दा

दस एस. आई. ओ. ना यू. एस. एन. सी. ए. एन. सी. ए. एन. सी. ए. एन. सी. ए. एस. सी. ओ.

अच्छा है।

नीला वृत्त 5 किमी के लिए और पीला वृत्त 10 किमी के लिए है।

कोई भी क्षेत्र (परियोजना क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र) अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में नहीं आता है।

.

-पश्चिमी घाटों पर उच्च स्तरीय कार्य समूह की रिपोर्ट (डॉ. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट) के अनुसार, पारिस्थितिकी के रूप में 10 गाँव प्रस्तावित हैं।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुका में संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. ए. एस.)।

गोवा में कोई प्रस्तावित ई. एस. ए. नहीं है, सभी 10 प्रस्तावित ई. एस. ए. एस. महाराष्ट्र राज्य में हैं और गोवा में उत्तर/उत्तर पश्चिम की ओर स्थित हैं।

अध्ययन क्षेत्र

- निकटतम ई. एस. ए. लगभग 4,1 कि. मी. की दूरी पर विलेज गेल है।

ई. एस. ए. एस. पर विमान संचालन का प्रभाव किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम होगा क्योंकि ई. एस. ए. एस. हवाई अड्डे से बहुत दूर है।

1

38. आलोचना कि ई. ए. सी. ने इस मुद्दे को उलझा दिया है

42 वनों पर पर्यावरणीय प्रभाव वाले पेड़ों की कटाई को श्री ए. एन. एस. ओमन लक्ष्मण अरोस्कर बनाम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों में संबोधित किया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]अर्नी, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।

प्रस्तुत किया गया किः

((i)

हवा, पानी और भूमि की पर्यावरणीय व्यवस्थाओं में। इन सभी तत्वों के प्रभावों का आकलन किया गया है और शमन
उपायों का प्रस्ताव किया गया है;

ई. ए. सी. ने वन भूमि की उपस्थिति का उचित संज्ञान लिया

((ख)

और यह भी देखा कि हालांकि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी, लेकिन एक चिन्हित परियोजना स्थल के मद्देनजर यह एक आवश्यकता थी। उस संदर्भ में, इसने प्रतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम का संदर्भ दिया 1 के
अनुपात में आवश्यकः 10 ;

(111 ई. ए. सी. ने नोट किया है कि हवाई अड्डा स्थल वन क्षेत्रों को खंडित नहीं करता है और जीवों की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं करता है। हवाई अड्डा स्थल मुख्य रूप से एक पठार है और वन क्षेत्र इसके निकट नहीं है। हवाई अड्डे के चारों ओर एक चारदीवारी के साथ, जानवरों की कोई संभावना नहीं है

परियोजना स्थल में प्रवेश करने से खतरे में पड़ना;

(iv) मिट्टी और पानी पर हवाई अड्डे के संचालन का प्रभाव

पर्यावरण का भी मूल्यांकन किया गया है और यह आवश्यक है। संरक्षण और संरक्षण के लिए ई. ए. सी. द्वारा किए गए उपाय; और

(v)

लगभग 3 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। 50,000 स्थल पर और

2,50,000 15 किलोमीटर के भीतर आस-पास के गाँवों में जैव विविधता बोर्ड द्वारा विधिवत पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अलावा, डी. जी. सी. ए. द्वारा एक और 2,50,000 पेड़ लगाया जाना है और उनकी निगरानी की जानी है। ई. ए. सी. ने देशी प्रजातियों के रोपण को अनिवार्य कर दिया है और फलों वाले पौधे कृषि पर
निर्भर निवासियों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं और साथ ही पक्षियों के लिए जैविक पर्यावरण का संरक्षण करते हैं।

39. एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने भी इसके खिलाफ आलोचना का जवाब दिया है

पक्षी-जीव अध्ययन और आंकड़ों के संबंध में ई. ए. सी. द्वारा अपनाया गया। प्रस्तुत करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक ने जेडएसआई और अन्य स्रोतों से तैयार डेटा प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी

जेड. एस. आई. डेटा से जीव प्रजातियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है

आर. एन. ए. एल. वितरण "ज्यादातर मामलों में। हालांकि, जेडएसआई डेटा स्पष्ट रूप से

"देखने वाले क्षेत्र/इलाकों" पर जहाँ विशिष्ट प्रजातियाँ [2020] 1 एस. सी. आर. रही हैं।

वास्तव में देखा गया; ये सभी स्थान विशेष रूप से परियोजना स्थल से बहुत दूर हैं। इसके अलावा, एक उदाहरण के रूप में, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने गोवा और महाराष्ट्र में तेंदुओं को देखने के बारे में बात नहीं की

बाघों और हाथियों की उपस्थिति पर वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (2017) पर भरोसा किया गया है। 40. एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि ई. एस. ए./ई. एस. जेड. की दूरी पर्यावरण पर परियोजना गतिविधियों के संभावित प्रभाव को निर्धारित करने में एक प्रमुख कारक है। ई. ए. सी. द्वारा जाँच करने पर यह पाया गया है कि न तो परियोजना स्थल और न ही अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव किसी भी ई. एस. जेड. में नहीं आते हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के 10 ई. एस. ए. गाँवों में से 10 कि. मी. के भीतर आते हैं। परियोजना स्थल का त्रिज्या, निकटतम गाँव (गेल) परियोजना की सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और उत्तर दिशा में स्थित है। प्रस्तावित रनवे

हवाई अड्डे का पूर्व-पश्चिम अभिविन्यास है। 3. 75 किमी के रनवे से परे। , लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान संचालन का हवाई अड्डे के आसपास की वनस्पतियों और जीवों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आम जीव प्रजातियों को मुख्य रूप से वन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाएगा। प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल इनमें से किसी भी प्रजाति का घर नहीं है। इस संदर्भ में ई. ए. सी. ने देखा है कि परियोजना स्थल किसी भी वन क्षेत्र को खंडित नहीं करता है। ईसी शर्तों के साथ-साथ एनजीटी के निर्देशों में प्रस्तावित शमन उपायों के लिए उपाय निर्धारित किए गए हैं

जैव विविधता पर प्रभाव को कम करना। परियोजना प्रस्तावक डी. जी. सी. ए. और आई. सी. ए. ओ. विमान हमले के खतरे के प्रबंधन का पालन करने के लिए बाध्य होगा। एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की स्थापना सहित दिशा-निर्देश। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि ई. आई. एल. ने कहा था

17 द्वितीय हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई. आई. ए. रिपोर्ट में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के प्रवास की स्थिति। इस जानकारी को पूरक फॉर्म 1 में अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले अतिरिक्त जीवों की प्रवासी स्थिति के संबंध में अद्यतन किया गया था। हालांकि, हवाई अड्डा स्थल के पास उड़ान मार्ग का कोई निर्धारित मार्ग नहीं देखा गया। डीजीसीए ने राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना 2018-2020 को हवाई अड्डों में पक्षी जीवों और वन्यजीव प्रबंधन पर जोर देते हुए प्रकाशित किया। एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने निम्नलिखित पहलुओं पर अपनी प्रस्तुतियों, डी. जी. सी. ए. परिपत्रों/निर्देशों को संलग्न किया है जिन्हें रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिएः

क) जलवायु परिवर्तन पहल और स्थानीय वायु गुणवत्ता निगरानी

नागरिक उड्डयन में, 2015;

बी) हवाई अड्डों पर विमान संचालन का शोर प्रबंधन, 2014;

ग) कार्बन बंद-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था और कमी योजना

विमानन;

घ) वन्यजीव खतरे के प्रबंधन पर मार्गदर्शन;
ई) राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना, 2018-2020,2019।

41. सार्वजनिक परामर्श के दौरान सामने आई चिंताओं के संबंध में, एमओईएफ-सीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अद्यतन रिपोर्ट में इन चिंताओं को ध्यान में रखा गया है जो मुख्य रूप से दो श्रेणियों (पर्यावरण और आजीविका) में शामिल हैं। परियोजना प्रस्तावक ने इन चिंताओं पर ई. ए. सी. के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी और ई. ए. सी. की बैठक में कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। ई. ए. सी. ने निर्धारित किया है

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन। हवाई अड्डा मार्गदर्शन नियमावली के अनुसार, सार्वजनिक परामर्श के दौरान व्यक्त की गई जनता की चिंताओं को आवेदक द्वारा या तो एक अद्यतन ई. आई. ए. और ई. एम. पी. के माध्यम से या एक पूरक रिपोर्ट के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक ने अद्यतन जानकारी के माध्यम से ऐसा किया है। 42. 29 मार्च 2019 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दौरान इस प्रक्रिया में कुछ खामियां देखी गईं

28 अक्टूबर 2015 को एक ईसी के अनुदान के लिए अग्रणी। परियोजना प्रस्तावक ने पूर्ण प्रकटीकरण करने के अपने दायित्व का पालन नहीं किया था ई. आई. ए. प्रक्रिया के एक आंतरिक भाग के रूप में प्रपत्र 1 में पर्यावरण के भौतिक पहलुओं पर जानकारी। इस न्यायालय ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी चिंताओं को दर्ज किया जिन्हें [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था।

जिन चिंताओं को निर्णय में उजागर किया गया था। इसके बाद यदि ई. ए. सी. निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तो उसे स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया गया। ई. ए. सी. हवा, पानी, शोर, भूमि और जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण से संबंधित स्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश के तहत था। इस निर्णय के दौरान, हमने इस अदालत के पहले के निर्देशों का पालन करते हुए ई. ए. सी. के समक्ष विकसित होने वाली प्रक्रिया का पता लगाया है। प्रक्रिया का शुद्ध परिणाम यह है कि रियायत पाने वाले को कई शमनकारी शर्तों के अधीन किया गया हैः 53 मूल ईसी में, एनजीटी के कहने पर 16 और दूसरे दौर में ईएसी द्वारा लगाए गए 40। वर्तमान कार्यवाही तक की प्रक्रिया को पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई. ए. सी. ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। सुश्री अनीता शेनॉय, विद्वान वरिष्ठ वकील, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ने चार क्षेत्रों अर्थात् (i) वन; (ii) ई. एस. ए. एस.; (iii) पश्चिमी घाट; और (iv) वनस्पति और जीवों पर अपनी दलीलें केंद्रित कीं। ई. ए. सी. ने इन चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है और अतिरिक्त प्रावधान किए हैं

पर्यावरण की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थितियाँ।

43. फरवरी 2010 में एम. ओ. ई. एफ. द्वारा प्रकाशित हवाई अड्डा मार्गदर्शन नियमावली में इस पर असर डालने वाले मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं -

विवाद जो वर्तमान मामले में उठाया गया है। अध्ययन क्षेत्र के संबंध में, नियमावली में कहा गया हैः

" माप और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा; और माध्यमिक स्रोतों से माध्यमिक डेटा को हवाई अड्डा संदर्भ बिंदु (एआरपी) से 10 किमी के दायरे में अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किया जाना है। प्राथमिक आँकड़ों में मानसून के अलावा एक अन्य मौसम को शामिल किया जाना चाहिए और द्वितीयक आँकड़ों में एक पूरे वर्ष को शामिल किया जाना चाहिए। इन मानदंडों के चयन का आधार यह है कि विमान इस क्षेत्र में 1000 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है जिसके नीचे ध्वनि और वायु प्रदूषण इसके उड़ान चरण के दौरान अधिकतम उत्पन्न होता है। विशेष रूप से मापदंडों के लिए 15 किमी हवाई दूरी के भीतर द्वितीयक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।

ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के प्रपत्र I के कॉलम 9 (III) में उल्लिखित है। द्वितीयक डेटा का विवरण, द्वितीयक डेटा के संग्रह की विधि, प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसी तरह के प्रस्तावित स्थान

पानी, हवा, मिट्टी और शोर आदि के निगरानी केंद्र दिखाए जाने चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र के मानचित्र पर "। उमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दूसरे शब्दों में, अध्ययन क्षेत्र में एनएस की रेडियल दूरी शामिल है। हवाई अड्डा संदर्भ बिंदु से। नियमावली इंगित करती है कि मानदंड के चयन के लिए आधार यह है कि एक विमान इस क्षेत्र में 00 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है और शोर और वायु प्रदूषण का अधिकतम प्रभाव पड़ता है।टेकऑफ चरण के दौरान निष्क्रिय। विमान मार्गदर्शन नियमावली

इसमें कहा गया हैः

" विमान इंजन ऐसे उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं जो किसी भी तेल आधारित ईंधन दहन के परिणामस्वरूप अन्य उत्सर्जन के समान होते हैं। ये, किसी भी निकास उत्सर्जन की तरह, जमीनी स्तर पर स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। यह जमीन से 1,000 फीट से नीचे के विमानों से उत्सर्जन है (आमतौर पर प्रस्थान से लगभग 3 किमी या आगमन के लिए, टचडाउन से लगभग 6 किमी) जो मुख्य रूप से स्थानीय हवा को प्रभावित करने में शामिल हैं। गुणवत्ता "।

निम्नलिखित उद्धरण में फिर से जोर दिया गया हैः

" हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) महत्वपूर्ण है।

वायु गुणवत्ता पर विमानन के प्रभाव का महत्व अलग-अलग होगा। कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है जैसे, पृष्ठभूमि प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के अन्य स्रोत, मौसम और निकटता

आवासीय क्षेत्र।

किसी भी तेल आधारित ईंधन दहन के परिणामस्वरूप उत्सर्जन। ये, किसी भी निकास उत्सर्जन की तरह, जमीनी स्तर पर स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। यह जमीन से 1,000 फीट से नीचे के विमानों से उत्सर्जन है। (आम तौर पर प्रस्थान से लगभग 3 किमी या आगमन के लिए, टचडाउन से लगभग 6 किमी जो मुख्य रूप से स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने में शामिल हैं। ये उत्सर्जन हवा के साथ फैलते हैं और घरेलू ताप उत्सर्जन जैसे अन्य स्रोतों से उत्सर्जन के साथ मिश्रित होते हैं।

फैक्टरी उत्सर्जन और परिवहन प्रदूषण।

हवाई अड्डों पर विमान संचालन के लिए जिम्मेदार स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रासंगिक उत्सर्जन नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एन. ओ. एक्स.), कार्बन मोनोऑक्साइड (सी. ओ.), अनबर्न हाइड्रोकार्बन (एन. एम. एच. सी. और वी. ओ. सी.), सल्फर डाइऑक्साइड (एस. ओ. 2), कण पदार्थ (पी. एम. 10 और PM2.5) हैं। विमान के इंजन, सहायक बिजली इकाइयाँ, एप्रन वाहन, डी-आइसिंग और ईंधन और रसायनों के एप्रन रिसाव इन प्रदूषकों को उत्सर्जित करते हैं। स्थानीय कारक प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए व्यक्तिगत उत्सर्जन के महत्व को प्रभावित करते हैं, लेकिन अक्सर एन. ओ. एक्स. अब तक की सबसे प्रचुर मात्रा में है और [2020] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वायु गुणवत्ता स्टैंड से सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक माना जाता है

बिन्दु।

मानसून की अवधि में प्रमुख हवा की दिशा में परिवर्तन और वायुमंडल में आर्द्रता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर अवलोकन द्वारा परियोजना के एआरपी से 10 किमी रेडियल दूरी के क्षेत्र में फैले इन मापदंडों का आधारभूत डेटा। परियोजना के निकट 3 किलोमीटर तक के क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाना है।

विमान जैसे उत्सर्जन के गतिशील स्रोत को देखते हुए यह आवश्यक है।

44. ई. ए. सी. द्वारा हवाई अड्डा मार्गदर्शन नियमावली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया है। ई. ए. सी. ने पश्चिमी घाटों में आरक्षित वनों और ई. एस. ए. की उपस्थिति पर ध्यान दिया और वनस्पतियों या जीवों, जल प्रणालियों और जलवायु परिवर्तनों पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया। ई. ए. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके अंतिम निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा के दौरान, उन सीमाओं के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए जो अदालत द्वारा अधिकार आधारित समीक्षा करने से जुड़ी हैं। लाफार्ज उमियम माइनिंग में

प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1 8 पूर्वी खासी हिल्स जिला मेघालय के नोंगत्राई गाँव में एक प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को ईसी के अनुदान के लिए 1994 ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत एक आवेदन किया गया था। इस परियोजना के लिए ई. सी. 2001 में दिया गया था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया और प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाडिया ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायिक समीक्षा का मानक तैयार किया जिसे पर्यावरण से संबंधित मामलों में निम्नलिखित शब्दों में लागू किया जाना चाहिएः

" इन परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है? क्या किसी बाहरी कारक ने निर्णय को प्रभावित किया है? क्या निर्णय सख्ती से लिया गया है?
क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून (यदि कोई हो) में अंतर्निहित विधायी नीति के अनुसार? क्या निर्णय इस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है कि निर्णय निर्माता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक विचारों के आधार पर एक संतुलित निर्णय पर पहुंचा है? इस प्रकार,

18 (2011) 7 एस. सी. सी. 338 हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए कि

एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित है, जो सही सिद्धांतों पर आधारित है, और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त है।

ई. ए. सी. ने मूल्यांकन में अपने पिछले फैसले में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है जिससे ई. सी. को अनुदान मिला है।

45. योग्यताओं का मूल्यांकन एक ऐसा मामला है जो मुख्य रूप से एक विशेषज्ञ प्राधिकारी के पास होता है। अदालत निश्चित रूप से प्रक्रिया की निगरानी कर सकती है।

अनुपालन और यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाले सभी आवश्यक निवेशों को विधिवत ध्यान में रखा गया है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, अदालत को ई. ए. सी. द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने में सावधानी बरतनी चाहिए और ई. ए. सी. के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करना चाहिए। निस्संदेह, कोई भी प्रक्रिया पूर्ण या अध्ययन की गई आलोचना से मुक्त नहीं हो सकती है। सुश्री अनीता शेनॉय, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तरह की कवायद करने का प्रयास किया है जब उन्होंने प्रस्तुत किया कि पास के गाँव से प्राथमिक जीव डेटा और जेडएसआई स्रोतों से माध्यमिक डेटा का संग्रह इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से निपटने का पर्याप्त साधन नहीं था। इन आलोचनाओं का आकलन करते समय, हमें इस तथ्य का समान रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि 29 मार्च 2019 के इस न्यायालय के फैसले के अनुसार, ई. ए. सी. को इस न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से एक महीने की अवधि के भीतर अभ्यास करने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को रद्द नहीं किया, लेकिन निर्देश दिया कि जब तक ई. ए. सी. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के आलोक में अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक उसे निलंबित रहना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय के बाद हुई प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के बाद और

परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना कठिन होगा कि वह उन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है जिन्हें न्यायालय पर्यावरण मामलों में न्यायिक समीक्षा के दौरान लागू करता है।

ई. दिशाएँ

46. उपरोक्त कारणों से, 23 अप्रैल 2019 की ई. ए. सी. की बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में लिया गया है। अतिरिक्त

ई. ए. सी. द्वारा लगाई गई शर्तों का 28 अक्टूबर 2015 की ई. सी. की मूल शर्तों और एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों के साथ सामूहिक रूप से पालन किया जाएगा। ई. सी. के अनुदान के लिए संचयी रूप से लगाई गई शर्तें नीचे दी गई हैं:

I. निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2015 [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा लगाई गई शर्तें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. विशेष शर्तें:

(1)

' 'स्थापना' के लिए सहमति राज्य प्रदूषण से प्राप्त की जाएगी।

वायु के अधीन नियंत्रण बोर्ड (वायु की रोकथाम और नियंत्रण) प्रदूषण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974।

((ख)

परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा

यातायात संचरण/प्रबंधन के लिए मोपा हवाई अड्डा सड़क और मुंबई/गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के संगम पर भूमि और

सभी ट्रैफिक इंटरचेंजों और प्रस्तावित क्लोवर के लिए प्रदान करें। हवाई अड्डे तक पहुँचने और बाहर निकलने वाली सड़कों को मंजूरी दी जाएगी।

(iii)

एन. एच. ए. की भूमि आई. आर. सी. मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।

(iv) रनवे क्षेत्र पर अधिरोपित टोपो शीट का अवलोकन इंगित करता है कि रनवे का चरम छोर आंशिक रूप से जल निकासी क्षेत्र को कवर कर रहा है। रनवे के नीचे जो जल निकासी क्षेत्र है, उसे चैनलाइज किया जाएगा। समानांतर टैक्सीवे और रनवे के बीच के क्षेत्र को सावधानीपूर्वक संभाला जाएगा

झरना 2 में क्षेत्र से पानी निकालें।

(v)

पीपी साइट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करेगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी. जी. सी. ए.), इससे पहले

परियोजना स्थल पर कार्य शुरू करना।

(vi) मौजूदा टर्मिनल सहित हवाई अड्डे से उत्पन्न सीवेज और अन्य तरल अपशिष्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपचारित किया जाना चाहिए। उपचारित सीवेज का पुनर्चक्रण किया जाएगा

फ्लशिंग/बागवानी। उचित दोहरी नलसाजी की व्यवस्था की जाएगी।

((vii) उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार ठीक से एकत्र किया जाएगा, अलग किया जाएगा और निपटाया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक यात्रियों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर पीने के पानी का प्रावधान करेगा।

पी. ई. टी. बोतलों सहित ठोस कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए कैफेटेरिया।

(viii) डी. जी. सेटों की स्थापना और संचालन का अनुपालन होगा -

सी. पी. सी. बी के दिशानिर्देश।

(ix) राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा।

भारत का भवन संहिता, 2005।

एन. लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जल संरक्षण उपकरण प्रदान किए जाएंगे और सत्यापन योग्य मीटरिंग के माध्यम से जल संतुलन बनाए रखा जाएगा।

ताजा कच्चा पानी, पुनर्नवीनीकरण के साथ-साथ वर्षा जल संचयन। भूजल निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी।

परियोजना का निर्माण/संचालन।

हवाई अड्डा परिसर के आसपास भूमि उपयोग को अनधिकृत विकास को नियंत्रित करने की योजना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा जो हवाई अड्डे के संचालन में समस्याएं पैदा कर सकता है।

हैंगरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का भारी धातुओं की उपस्थिति, यदि कोई हो, के लिए परीक्षण किया जाएगा और एसटीपी में उपचार किया जाएगा। शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी/फ्लशिंग के लिए किया जाएगा। भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।

वाहनों की बढ़ती आवाजाही का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन योजना जिसमें मौजूदा सड़कों और संबंधित सड़कों को चौड़ा करना/बढ़ाना भी शामिल/स्पष्ट रूप से चित्रित होना चाहिए।

सड़क सुरक्षा सुविधाओं/पैदल यात्री सुविधा/एफ. ओ. बी./अंडर पास आदि की मंजूरी/स्थापना (जो सड़क सुरक्षा ऑडिट करके की जा सकती है)। आर. ओ. डब्ल्यू. एस. के साथ/भीतर अतिक्रमण को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।

मुख्य धमनियों को जोड़ने वाली सड़कें।

ई. एम. पी. की सभी सिफारिशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। ई. आई. ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत सभी शमन उपायों को एक मैट्रिक्स प्रारूप में तैयार किया जाएगा और प्रत्येक शमन योजना के लिए अनुपालन अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ आर. ओ., एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को प्रस्तुत किया जाएगा।

(xviii) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान दी गई प्रतिक्रियाएं/प्रतिबद्धताएं।

इसका अक्षर और भाव से पालन किया जाएगा।

(xix)

परियोजना प्रस्तावक शोर स्तर प्रदर्शन प्रणाली स्थापित करेगा।

सभी मौसमों में ध्वनि स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। (विभिन्न मौसम संबंधी स्थितियाँ) परिसर के साथ-साथ आस-पास की बस्तियों के भीतर और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोर का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। रात के समय सीमा पर मापा जाने वाला शोर का स्तर प्रचलित नियमों का पालन करने के लिए अनुमेय स्तर तक सीमित रहेगा।

(XX)

निगरानी स्टेशनों का स्थान और शोर की निगरानी

दिन और रात के दौरान स्तर सी. पी. सी. बी. मार्गदर्शन दस्तावेज "विमान के कारण परिवेशी शोर स्तर की निगरानी के लिए आवश्यकता और प्रक्रिया" के अनुसार होगा।

25 जून 2008 को प्रकाशित।

(xxi)

बिटुमिनस सामग्री सहित निर्माण लूट और अन्य खतरनाक पदार्थों को जलमार्गों को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और ऐसी सामग्री के लिए डंपसाइट को सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे भूजल में न जा सकें।

निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न कोई भी खतरनाक अपशिष्ट,

(xxii)

लागू नियमों और मानदंडों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए

एस. पी. सी. बी. के आवश्यक अनुमोदन के साथ।

(xxiii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान के तहत, परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी यदि यह पाया जाता है कि परियोजना का निर्माण पर्यावरण प्राप्त किए बिना शुरू किया गया है।

निकासी।

(XXIV) परियोजना प्रस्तावक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अलग से पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा।

एक वरिष्ठ कार्यकारी की देखरेख में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय।

(XXV)

निगमित पर्यावरण उत्तरदायित्वः

क) कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक अच्छी तरह से निर्धारित पर्यावरण नीति होगी।

XMAN अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पर्यावरण नीति मानक निर्धारित करेगी।

पर्यावरण के किसी भी उल्लंघन/विचलन/उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संचालन प्रक्रिया/प्रक्रियाएं

या वन मानदंड/शर्तें।

पदानुक्रमित प्रणाली या प्रशासनिक आदेश

पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी और

पर्यावरण का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निकासी की शर्तें प्रस्तुत की जाएंगी।

उचित नियंत्रण और संतुलन के लिए, कंपनी

रिपोर्टिंग की एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रणाली होगी पर्यावरण मानदंडों का गैर-अनुपालन/उल्लंघन

कंपनी का निदेशक मंडल और/या

बड़े पैमाने पर शेयरधारक या हितधारक।

सामान्य शर्तें:

आवास के लिए प्रावधान किया जाएगा

सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन, मोबाइल शौचालय, मोबाइल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि के साथ साइट के भीतर निर्माण श्रम। आवास अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकता है

निर्माण चरण के दौरान कचरे के निपटान से पड़ोसी समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और आवश्यक कदम उठाकर इसका निपटान किया जाना चाहिए। लोगों की सामान्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं के लिए सावधानी, केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ अनुमोदित स्थलों में।

डीजल जनरेटर सेट का उपयोग इस दौरान किया जाना है

निर्माण चरण सल्फर डीजल प्रकार से नीचे होना चाहिए और पर्यावरण (संरक्षण) के अनुरूप होना चाहिए। वायु और ध्वनि उत्सर्जन के लिए निर्धारित नियम

मानक। डी. जी. सेट के संचालन के लिए आवश्यक डीजल को भूमिगत टैंकों में संग्रहीत किया जाएगा और यदि

मुख्य नियंत्रक से आवश्यक मंजूरी

विस्फोटक ले लिए जाएंगे।

(vi)

निर्माण सामग्री लाने के लिए किराए पर लिए गए वाहन

स्थल अच्छी स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए और लागू वायु और ध्वनि उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और केवल गैर-व्यस्त समय के दौरान संचालित किया जाना चाहिए।

(vii)

फ्लाई ऐश के उपयोग को निर्माण सामग्री के रूप में खोजा जाएगा

सितंबर, 1999 की फ्लाई ऐश अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण में और के रूप में संशोधित

27 अगस्त, 2003 को।

(viii) भवन निर्माण में तैयार मिश्रित कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए।

निर्माण।

(ix)

सी. जी. डब्ल्यू. बी. के अनुसार तूफान जल नियंत्रण और इसका पुनः उपयोग और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बी. आई. एस. मानक।

(x)

निर्माण के दौरान पानी की मांग होनी चाहिए

पूर्व-मिश्रित कंक्रीट, क्यूरिंग के उपयोग से कम किया गया

अभिकर्ताओं और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं को संदर्भित किया जाता है। धूसर और काले पानी को अलग किया जाना चाहिए।

(xi)

अलग करने के लिए दोहरी नलसाजी लाइन का उपयोग करके

धूसर और काला पानी।

(xii)

कांच का उपयोग 40 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। बिजली की खपत को कम करें और वातानुकूलन पर भार डालें। यदि आवश्यक हो, तो खिड़कियों में विशेष परावर्तक परत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले दोहरे कांच का उपयोग करें।

छत को निर्धारित आवश्यकता के अनुसार पूरा करना चाहिए।

(xiiii)

पूरा करने के लिए उपयुक्त थर्मल इन्सुलेशन सामग्री आवश्यकताएँ।

(xiv) अपारदर्शी दीवार को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार निर्धारित आवश्यकता को पूरा करना चाहिए जो सभी वातानुकूलित स्थानों के लिए अनिवार्य होने का प्रस्ताव है जबकि यह गैर-वातानुकूलित के लिए आकांक्षी है।

भारत और ओआरएस का संघ। आनंद वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपयुक्त तापीय इन्सुलेशन के उपयोग से रिक्त स्थान आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामग्री।

भूखंड की परिधि के साथ स्थानीय प्रजातियों के साथ पर्याप्त चौड़ाई और घनत्व की हरी पट्टी को ऊपर उठाया जाएगा ताकि विवरण और शोर से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

प्रस्तावित परियोजना स्थल से सटे सड़कों से प्रवेश और निकास बिंदुओं के पास यातायात जाम इससे बचना चाहिए। पार्किंग पूरी तरह से आंतरिक होनी चाहिए और किसी भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इस दौरान पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। निर्माण सामग्री का परिवहन ताकि यह पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे।

परियोजना के निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को पूरा समर्थन दिया जाएगा।

निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को छह-मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण किसी भी अतिरिक्त शर्तों को निर्धारित कर सकता है या मौजूदा शर्तों को संशोधित कर सकता है, यदि [2020] 1 एस. सी. आर.

पर्यावरण के हित में आवश्यक और उसी का पालन किया जाएगा।

(xxiii) मंत्रालय के पास इस मंजूरी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि निर्धारित शर्तों में से कोई भी है

मंत्रालय की संतुष्टि का पालन नहीं किया।

(xiv) परियोजना रूपरेखा में परिवर्तन या कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन की स्थिति में, एक नया संदर्भ

पर्यावरण, वन मंत्रालय को भेजा जाएगा

& जलवायु परिवर्तन।

(XXV) परियोजना के प्रस्तावक क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ मंत्रालय को संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना के वित्तीय समापन और अंतिम अनुमोदन की तारीख और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में सूचित करेंगे।

(XXVI) मंजूरी पत्र की एक प्रति को चिह्नित किया जाएगा

संबंधित पंचायत स्थानीय गैर सरकारी संगठन, यदि कोई हो, जिनसे कोई सुझाव/अभ्यावेदन दिया गया है। प्रस्ताव को संसाधित करते समय प्राप्त किया गया।

( ) पर्यावरण मंजूरी पत्र की एक प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन आयोग का पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र और कलेक्टर कार्यालय/तहसीलदार के कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

30 दिनों के लिए कार्यालय।

((xviii) पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए निर्धारित धन को अलग खाते में रखा जाएगा और इसे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं भेजा जाएगा। वर्षवार व्यय की सूचना इस मंत्रालय और उसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी। 5 .

इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।

(बीमा) अधिनियम, 1991 और ई. आई. ए. अधिसूचना 2006,

किए गए संशोधनों और नियमों सहित

इसके बाद।

एन. लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

6 .

मुख्य नियंत्रक से डीजल के भंडारण के लिए मंजूरी जैसी अन्य सभी वैधानिक मंजूरी विस्फोटक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि

से परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्राप्त, जैसा कि लागू होता है

संबंधित सक्षम प्राधिकारी। परियोजना प्रस्तावक कम से कम विज्ञापन देगा।

7 .

इस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित दो स्थानीय समाचार पत्र, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, यह सूचित करता है कि परियोजना पर्यावरण मंजूरी और मंजूरी पत्रों की प्रतियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध हैं और इन्हें यहाँ भी देखा जा सकता है।

इस मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय। विभिन्न निर्धारित नियमों के अनुपालन की स्थिति

9 .

परियोजना द्वारा पर्यावरणीय स्थितियों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को अपलोड किया जाएगा।

इसकी वेबसाइट में प्रस्तावक "।

एन. जी. टी. द्वारा दिनांक 2118 के अपने आदेश में लगाए गए प्रतिबंध

वायु पर्यावरण कुल निलंबित कण पदार्थ (एस. पी. एम.), श्वसन योग्य

निर्माण चरण के दौरान कण पदार्थ (आर. पी. एम.) और ऑपरेशन के दौरान अन-बर्नेट और हाइड्रो कार्बन (एच. सी.), सीसा (पी. बी.), सी. ओ. 2, एस. ओ. 2, सी. ओ. 2, एस. ओ. ओ. टी. और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एन. ओ. एक्स.)

इस तरह की परियोजना में चरण प्रमुख प्रदूषक होने जा रहे हैं, इसके अलावा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का भगोड़ा उत्सर्जन

(वी. ओ. सी.) ईंधन संभालने के दौरान परिवेशी वायु वातावरण के लिए एक और मुद्दा हो सकता है। केवल 6 (छह) वायु गुणवत्ता का प्रावधान

निगरानी केंद्र अपर्याप्त हैं क्योंकि नमूने लेने की अवधि [2020] 1 एस. सी. आर. है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सप्ताह में दो बार, एक मौसम में 4 सप्ताह के रूप में दिया गया

एन. ए. ए. क्यू. एम., 1994 के लिए सी. पी. सी. बी. मानक। यह उचित होगा यदि परियोजना प्रस्तावक वास्तविक समय स्थापित करता है। ऑनलाइन निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी जो सी. पी. सी. बी. सर्वर से जुड़ा हुआ है और सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मापदंडों और शमन उपायों की निगरानी करने में सक्षम है।

लिया गया।

हालांकि निगरानी किए गए सभी 6 (छह) स्थानों के लिए सभी परिवेशी वायु मापदंडों को सीमा के भीतर पाया गया है, हम क्षेत्र में परिवेशी वायु के संबंध में समग्र तस्वीर देने/चित्रित करने के उद्देश्य से महसूस करते हैं, कम से कम 3 (तीन) महाराष्ट्र राज्य में आने वाले और स्थानों की भी निगरानी और दस्तावेजीकरण किया जाए।

जल पर्यावरण

केवल दो वर्षा जल संचयन गड्ढे प्रदान किए गए हैं जो हमें लगता है कि पर्याप्त नहीं हैं और ऐसे स्थानों पर अन्य गड्ढे लगाने की आवश्यकता है ताकि पानी के पुनर्भरण के लिए सभी अतिरिक्त जल निकासी को पकड़ा जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बोर पर हर महीने अधिक बार जल गुणवत्ता निगरानी i.e.once की जा सकती है।

जैसा कि प्रस्तावित है, एक वर्ष में 4 (चार) बार के बजाय कुएं और एसटीपी निर्वहन संयंत्र।

शोर वातावरण

यह प्रस्ताव किया गया है कि हवाई अड्डे के परिसर के आसपास, डी. जी. सेटों के पास परिवेशी शोर के स्तर की निगरानी की जाएगी।

और हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश/सीमा पर सप्ताह में एक बार 7 (सात) स्थानों पर जो हमें अपर्याप्त लगते हैं। इनके अलावा, ऐसे औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक शोर जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी श्रव्य या दृश्य अलार्म उत्पादन क्षमता के साथ उपयुक्त होगी।

एकीकृत शोर मॉडल (आई. एन. एम.) का अधिक बार उपयोग किया जाना चाहिए और नियमित अंतराल पर परियोजना के संचालन चरण के दौरान शमन किया जाना चाहिए। हालाँकि निगरानी किए गए 9 (नौ) स्थानों पर परिवेशी शोर का स्तर सीमा के भीतर पाया गया है, हम परिवेशी एन. लक्ष्मण अरोस्कर v के संबंध में समग्र तस्वीर देने/चित्रित करने के उद्देश्य से महसूस करते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

क्षेत्र में शोर के स्तर, महाराष्ट्र राज्य में आने वाले कम से कम 3 (तीन) और स्थानों की भी निगरानी और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भूमि पर्यावरण

परियोजना से संबंधित रिसाव और ईंधन और रसायनों के रिसाव के कारण मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और

अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का अनियंत्रित निपटान। खतरनाक रिसाव और रिसाव से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए पदार्थ और परियोजना से संबंधित सभी अपशिष्ट। साइटों पर और साइटों के बाहर गंदगी को पर्याप्त रूप से रोकने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

मलबे और मलबे के प्रबंधन की योजना तैयार की जाएगी और उसे लागू किया जाएगा ताकि ढलानों पर मलबे और मलबे के रिसाव से बचा जा सके। मैकेनिकल और बायो-इंजीनियरिंग दोनों विधियों को लागू करके मिट्टी संरक्षण और स्थिरीकरण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी पर्यावरण या परियोजना से संबंधित आपदाओं के लिए पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए सुधार, बहाली और मुआवजे को नीति का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। जैविक पर्यावरण

इन दिनों उपलब्ध उपयुक्त यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके पेड़ों को उसी आसपास के अन्य स्थानों पर प्रत्यारोपित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

स्वदेशी प्रजातियों को लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए जो छोटे पौधों के बजाय आकार में लंबे हों।

पादप प्रजाति 'डिपकाडी कॉन्कैनेंस' के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा चिंता जताई गई है, जिसका दावा किया गया है एक संकटग्रस्त पौधा होना। अपीलार्थियों के इस दावे को प्रतिवादी द्वारा एक प्रस्तुत करके नकार दिया गया है

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पश्चिमी का प्रलेखन

क्षेत्रीय केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र का शीर्षक 'ए नोट ऑन ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपकाडी कॉन्कैनेंस' है। एहतियाती सिद्धांत का आह्वान करके, हम परियोजना का निर्देशन करते हैं [2020] 1 एस. सी. आर. के लिए योजना/योजना द्वारा संरक्षण तैयार करने के प्रस्तावक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' वन के सहयोग से 'डिपकाडी कॉन्कैनेंस'

और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सामाजिक-आर्थिक वातावरण

एफ.

आपदा के कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त अभ्यास

1 .

प्रबंधन योजना को नियमित अंतराल पर पूरा करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी स्थिति के लिए तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाएँ।

यद्यपि 'आपदा प्रबंधन योजना' अनुलग्नक-II के रूप में है

2 .

उप शीर्ष 1.2 के तहत ई. आई. ए. रिपोर्ट का हिस्सा। 1 - राष्ट्रीय आपदाओं को विशेष रूप से और विस्तार की आवश्यकता है

आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय, नियम और जिम्मेदारी,

शमन, आदि "।

III. के संशोधित मूल्यांकन में लगाई गई शर्तें

ई. ए. सी. दिनांक 23 अप्रैल 2019

आई.

सांख्यिकी संयोजनः परियोजना प्रस्तावक प्रमुख से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

((i)

राज्य के माध्यम से राज्य के वन्यजीव वार्डन (सी. डब्ल्यू. एल. डब्ल्यू)

सरकार ने कहा कि परियोजना का कोई भी क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है

अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. जेड.) और कोई गतिविधि निषिद्ध नहीं पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में लिया जाएगा।

(11) परियोजना प्रस्तावक स्थापना के लिए सहमति प्राप्त करेगा /

वायु (रोकथाम और नियंत्रण) के प्रावधानों के तहत काम करना प्रदूषण) अधिनियम, 1981 और जल (रोकथाम और नियंत्रण)

प्रदूषण) अधिनियम, 1974 संबंधित राज्य प्रदूषण से

नियंत्रण बोर्ड/समिति। परियोजना प्रस्तावक आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

(iii)

से पानी निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से

तिलारी सिंचाई नहर।

गुणवत्ता

II. एयर

निगरानी और

बचावः

((i)

परियोजना प्रस्तावक पूरा करने के लिए प्रणाली स्थापित करेगा। सामान्य/मानदंड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

जारी किए गए मुख्य प्रदूषकों के लिए प्रासंगिक मापदंड (जैसे।

पी. एम. उत्सर्जन के संदर्भ में पी. एम. 10 और पी. एम. 2.5 और एस. ओ. 2, जे. एम. ए. एन. लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और एस. ओ. 2 और एन. ओ. एक्स. उत्सर्जन के संदर्भ में एन. ओ. एक्स.) हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर और बाहर ऊपर और नीचे की हवा को कवर करते हुए

दिशा निर्देश।

((ख)

एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. की अधिसूचना जी. एस. आर. 94 € दिनांक 25.01.2018

निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों के अनिवार्य कार्यान्वयन के संबंध में

अनुपालन करें।

(iii) किसी भी लोडिंग, अनलोडिंग या ट्रांसफर ऑपरेशन से पहले मिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।

ताकि धूल भरी सामग्री को गीला रखा जा सके।

((iv) उत्खनन कार्य क्षेत्र पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।

ऑपरेशन के बाद ताकि पूरी सतह गीली रहे।

खुदाई की गई सामग्री को संभाल कर ले जाया जाएगा।

(v)

जिस तरह से वे किसी भी वायु प्रदूषण का कारण न बनें।

(vi) वाहन द्वारा ले जाई जाने वाली मिट्टी/निर्माण सामग्री को अधोमुखी चादर से ढक दिया जाना चाहिए ताकि पानी का रिसाव न हो।

धूलदार पदार्थ।

III. जल गुणवत्ता निगरानी और

बचावः

((i)

जल निकासी के लिए उपयुक्त जलमार्ग तैयार करने की आवश्यकता है। निकटतम जलमार्गों/नदियों में पानी के प्रवाह की देखभाल,

आदि।

((ख)

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थायी जल प्रवाह

पठार में जलविभाजक विभिन्न चैनलों का रखरखाव किया जाता है।

(iii)

तूफान से निकलने वाले पानी के लिए नालों का निर्माण किया जाना है

परियोजना क्षेत्र में बाढ़/जलभराव से बचने के लिए हवाई क्षेत्र से पानी। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को तूफानी जल नालियों में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

और इलाज के लिए एसटीपी को निर्देश दिया।

(iv) उचित जल निकासी प्रणाली, आपातकालीन नियंत्रण

मानसून मौसम आदि के दौरान एक बड़े रिसाव की घटना होगी

प्रदान किया गया।

(v)

एप्रन जैसी पक्की संरचनाओं से होने वाले बहाव को रूट किया जा सकता है।

वर्षा जल संचयन में छोड़े जाने से पहले तेल पृथक्करण टैंकों और अवसादन बेसिनों में नालियों के माध्यम से

संरचनाएँ।

(vi) विमान के रखरखाव और हवाई अड्डे के भीतर अन्य क्षेत्रों से रसायनों और अन्य दूषित पदार्थों से निकलने वाले पानी को उचित रूप से नियंत्रित किया जाएगा और निपटान से पहले उपचार किया जाएगा। एक रिसाव और रोकथाम योजना तैयार की जाएगी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए लागू की जाएगी। (vii) परियोजना गतिविधि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अधिसूचित पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए सामान्य मानकों के अनुरूप होगी और इसमें संशोधन किया जाएगा।

समय-समय पर।

(viii) छत के बह जाने और सतह के बह जाने के लिए वर्षा जल संचयन, जैसा कि प्रस्तुत की गई योजना को लागू किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन संरचनाएँ सी. जी. डब्ल्यू. ए. दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी। सतह को रिचार्ज करने से पहले निलंबित पदार्थ, तेल और तेल को हटाने के लिए रन ऑफ-प्री-ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। IV.

शोर की निगरानी और रोकथामः

((i)

एमओईएफ एंड सीसी की अधिसूचना जीएसआर 568 (ई) दिनांक 18.06.2018

हवाई अड्डा शोर क्षेत्र में शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाएगा।

ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण निर्धारित के अनुसार किया जाएगा।

((ख)

इस संबंध में दिशा-निर्देश और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी छह-मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी।

वाहनों, बिजली की मशीनरी और उपकरणों से शोर

(iii)

स्थल निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। उपकरण

नियमित रूप से सेवा की जानी चाहिए। मफलर रखरखाव और शोर वाले उपकरणों को घेरने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iv) डी. जी. सेटों के लिए ध्वनिक घेराव, ग्राउंड रन बे के लिए शोर अवरोध, संचालन कर्मियों के लिए ईयर प्लग को शोर प्रभाव को कम करने के उपायों के रूप में लागू किया जाएगा।

जमीनी स्रोतों के लिए।

(v) हवाई अड्डे के संचालन की अवधि के दौरान शोर को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना कि यह निर्धारित मानकों से अधिक न हो। रात के समय इमारत की सीमा पर मापा जाने वाला शोर का स्तर प्रचलित नियमों का पालन करने के लिए अनुमेय स्तर तक सीमित रहेगा।

एन. लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जहाँ निर्माण गतिविधि आस-पास के निवासियों के लिए शोर उपद्रव का कारण बन सकती है, वहाँ इसे केवल दिन के समय यानी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सीमित रखें।

ऊर्जा संरक्षण/जलवायु परिवर्तन मापः

हरित अवसंरचना विकास कार्यक्रम, कम उत्सर्जन गहन प्रौद्योगिकियों को अपनाना, इसके प्रभाव को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम, विद्युत वाहनों और हवाई अड्डे पर कार्बन प्रत्यायन को अपनाने की आवश्यकता है

अपशिष्ट प्रबंधनः मिट्टी के भंडार का प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि धूल का उत्सर्जन और तलछट का बहाव कम से कम हो। सुनिश्चित करें कि मिट्टी के भंडार 2 से अधिक ढलान के साथ डिज़ाइन किए गए हैंः 1 (क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर)।

परियोजना गतिविधि फ्लाई ऐश अधिसूचना के अनुरूप होगी।

ई. पी. अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के मानदंडों के अनुसार ठोस कचरे को अलग किया जाएगा। कागज, कांच (टर्मिनल और विमान कैटरर से उत्पादित), धातु (विमान रखरखाव स्थल पर), प्लास्टिक (विमान, टर्मिनल और कार्यालयों से), लकड़ी, अपशिष्ट तेल और सॉल्वैंट्स (रखरखाव और इंजीनियरिंग से) जैसे कचरे का पुनर्चक्रण।

संचालन), रसोई के कचरे और वनस्पति तेल (कैटरर्स से) किए जाएंगे।

निर्माण स्थलों पर पाए जाने वाले ठोस निष्क्रिय कचरे में इमारत के मलबे, विध्वंस सामग्री, कंक्रीट शामिल हैं; ईंटें, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, धातु, बिटुमेन आदि का पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण या प्रबंधन किया जाएगा ताकि ठोस कचरे का सख्ती से अनुपालन किया जा सके।

प्रबंधन नियम, 2016 और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

परियोजना के प्रस्तावक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक प्रबंधन योजना को लागू करेंगे और सुरक्षित संचालन और निपटान के लिए इसकी अनुमति प्राप्त करें:

एक कचरा उड़ान में एकत्र किया गया और हवाई अड्डे पर निपटाया गया

जिसमें पृथक्करण, संग्रह और निपटान शामिल है।

ख शौचालय अपशिष्ट और सीवेज को विमानों से एकत्र किया जाता है और हवाई अड्डे पर निपटाया जाता है।

ग. रखरखाव और कार्यशालाओं से उत्पन्न अपशिष्ट।

डी हवाई अड्डा परिसर के अंदर स्थित भोजनालयों और दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट।

ई खतरनाक और अन्य अपशिष्ट। ग्रीन बेल्ट:

वन विभाग के अनुसार देशी वृक्ष प्रजातियों के साथ परियोजना विवरण में दिए गए क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। हरित पट्टी अन्य बातों के साथ-साथ हवाई अड्डे की पूरी परिधि को कवर करेगी।

पक्षी घोंसले से बचने और प्रदूषण नियंत्रण और शोर नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया। भूनिर्माण के लिए जल गहन और/या आक्रामक प्रजातियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बागान की गतिविधि विशेषज्ञ के अधीन की जानी चाहिए।

प्रस्तावित 10 गुना प्रतिपूरक रोपण की गोवा सरकार द्वारा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि 5.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य एक समय सीमा में प्राप्त किया जा सके। जिस तरह से, उनकी जीवित रहने की दर की निगरानी की जाती है और मृत्यु दर की भरपाई की जाती है। ग्राम स्तर पर जैव विविधता एन लक्ष्मण अरोस्कर बनाम द्वारा ढाई लाख पौधों का बड़ा हिस्सा बनाने का प्रस्ताव है।

भारत और ओआरएस का संघ। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

समितियों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोगों को बड़े पैमाने पर देशी प्रजातियों और/या फल देने वाले पौधे दिए जाएं ताकि वे ऐसी फलों की फसलों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें और ऐसे पेड़ भी बेहतर जैविक सुविधा प्रदान कर सकें

पक्षियों के लिए पर्यावरण।

ऊपरी मिट्टी को अलग से संग्रहीत किया जाएगा और इसमें उपयोग किया जाएगा

हरित पट्टी का विकास। सार्वजनिक सुनवाई और मानव स्वास्थ्य

मुद्देः

सार्वजनिक सुनवाई में उठाई गई सभी चिंताओं के निवारण के संबंध में समाधान/प्रबंधन योजना को ई. एम. पी. में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इसे अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक शमन योजना के लिए अनुपालन प्रस्तुत किया जाएगा

अर्धवार्षिक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. अनुपालन रिपोर्ट।

विकलांग यात्रियों के लिए शौचालयों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल दरवाजों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों का नर्सिंग/फीडिंग रूम आगमन और प्रस्थान द्वार के पास सुविधाजनक रूप से स्थित होगा।

खतरे पर आधारित आपातकालीन तैयारी योजना

पहचान और जोखिम आकलन (एच. आई. आर. ए.) और आपदा

प्रबंधन योजना को लागू किया जाएगा। सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ निर्माण स्थल के भीतर निर्माण श्रमिकों के आवास के लिए प्रावधान किया जाएगा और

खाना पकाने के लिए ईंधन, मोबाइल शौचालय, मोबाइल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि जैसी सुविधाएं। आवास अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकता है

परियोजना के पूरा होने के बाद हटा दिया गया।

श्रमिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी होगी

नियमित रूप से किया जाता है। "

हमने उस आश्वासन पर भी ध्यान दिया है जो रियायत पाने वाले की ओर से दिया गया है कि वह हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन दोनों चरणों में शून्य कार्बन को अपनाएगा। रियायत पाने वाले का उपक्रम और एक निर्देश जारी करना

एन. सी. ई.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. इस न्यायालय के पहले के फैसले में परियोजना प्रस्तावक की कई कमियों को उजागर किया गया था जिसके कारण ईसी को अनुदान दिया गया था। इस न्यायालय ने वनों के संरक्षण, उनकी सहायक विशेषताओं के साथ ई. एस. ए. के अस्तित्व और प्राकृतिक जल चैनलों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव सहित कई चिंताओं पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने परियोजना प्रस्तावक की पूर्ण व्यवस्था प्रदान करने में घोर विफलता पर भी ध्यान दिया

आरक्षित वनों के अस्तित्व के बारे में जानकारी। इस न्यायालय के फैसले के बाद की कार्यवाही में, परियोजना प्रस्तावक ने

पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए इसकी विफलता को दूर करें। ई. सी. के अनुदान के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा इसके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया में, परियोजना प्रस्तावक पर कई शमनकारी शर्तें लगाई गई हैं। हम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निकाय द्वारा परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करना उचित समझते हैं।

इस न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी किया गया। हम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को इस न्यायालय द्वारा संचयी रूप से जारी निर्देशों के अनुपालन की देखरेख के लिए नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। परियोजना प्रस्तावक एन. ई. ई. आर. आई. की लागत, खर्च और शुल्क वहन करेगा।

49. तदनुसार निर्वाचन आयोग पर से निलंबन हटा लिया जाएगा। विविध अनुप्रयोग का तदनुसार निपटान किया जाता है।

अंकित ज्ञान

आवेदन का

निपटारा कर दिया गया।